



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218770
CG-DL-E-18032020-218770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1016]
No. 1016]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 1123(अ).—केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसकी ओर से सामर्थ्यकारी बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 है।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होता है, जैसे यह भारत के राजपत्र में विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- तत्काल प्रभाव से इस अध्याय की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों का जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, लागू रहेगा, इस आदेश की अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलन और उपांतरण के अधीन या यदि यह इस प्रकार निदेशित किया गया है, निरसित होगा।
- जहां यह आदेश अपेक्षा करता है कि अधिनियम की कोई विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग के कतिपय शब्द कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाएंगे, या कतिपय शब्द विलोपित किए जाएंगे, तो ऐसा प्रतिस्थापन या विलोपन, जैसी भी दशा हो, जहां यह अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय है, जहां कहीं विनिर्दिष्ट किए गए शब्द उस धारा या भाग में आते हैं।

5. इस आदेश के उपबंध जो किसी विधि को अनुकूल बनाता हो या उपांतरित करता हो, किसी रीति में परिवर्तन करता हो, प्राधिकारी जिसके द्वारा या विधि के अधीन या उसके अनुसार जिससे कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हैं, 31 अक्तूबर, 2019 के पूर्व सम्यक् रूप से बनाये गए या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या सम्यक् रूप से की गई किसी चीज को अविधिमान्य नहीं बनायेगी; या ऐसी कोई अधिसूचना, आदेश, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या कोई चीज वैसी ही रीति से, उसी विस्तार तक और उसी परिस्थिति में प्रतिसंहत, फेरफार या अकृत की जा सकेंगी, जिसमें यदि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले में उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाई गई, जारी की गई या की गई थी।

6. (1) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन और संशोधन प्रभावित नहीं करेगा –

(क) किसी विधि का पूर्ववर्ती प्रचालन जो निरसित किया है या किसी चीज को सम्यक् रूप से किया गया है या उसके अधीन होने दिया गया है;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी या लागू किए जा सकेंगे और ऐसे दंड समपहरण या दंड अधिरोपित किये जा सकेंगे मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 या यह आदेश प्रवृत्त ही नहीं किया गया था।

(2) उपपैरा (1) के उपबंधों के अधीन, किसी ऐसी विधि के अधीन कोई बात की गई या कार्रवाई की गई (जिसमें की गई नियुक्ति या किया गया प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्ररूप, उपविधि या स्कीम, प्राप्त प्रमाणपत्र, मंजूर अनुज्ञापत्र या आज्ञाति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार सम्मिलित है) विस्तारित केंद्रीय विधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित केंद्रीय विधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा जब तक अधिकांत न हों, तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा।

अनुसूची

(पैरा 3 देखिए)

केंद्रीय विधियां

1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(1961 का 25)

धारा 2 – उपधारा (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य”, “उस राज्य या” का लोप किया जाता है।

धारा 58कच विलोपित करे।

2. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951

(1951 का 61)

धारा 3 – उपधारा (1) में, “जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य आता है”, लोप किया जाता है।

3. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

(1958 का 24)

धारा 2क विलोपित करे।

4. माध्यस्थतम् और सुलह अधिनियम, 1996**(1996 का 26)****1. धारा 1** — उपधारा (1) में, परंतुक और स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाता है।**2. धारा 8क और धारा 8ख का अंतःस्थापन** -- धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाती हैं, अर्थात् :-

“8क. विवाद को माध्यस्थतम् या सुलह को निर्दिष्ट करने हेतु, अधिनियम की धारा 9 या धारा 11 के अधीन न्यायालय की शक्ति, मामलों का अभिग्रहण —

(1) अधिनियम की धारा 9 या धारा 11 के अधीन याचिकाओं के लंबन के दौरान, न्यायालय के समक्ष यह आता है कि निपटारे के तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेगा, न्यायालय, पक्षकारों की सहमति से, उनके विवादों के समाधान के लिए पक्षकारों को --

(क) माध्यस्थतम्; या

(ख) सुलह

के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।”

(2) विवादों को माध्यस्थतम् हेतु निर्देशन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है --

क. जहां विवाद, माध्यस्थतम् सहायता द्वारा समाधान के लिए निर्देशित किया गया है, वहां अधिनियम के अधीन विरचित प्रक्रिया लागू होगी;

ख. विवाद के सफलतापूर्वक समाधान की दशा में, मध्यस्थ, मध्यस्थता निपटारे के लिए अभिनिर्देश न्यायालय को तत्काल भेज देगा ;

ग. मध्यस्थता निपटारे की प्राप्ति पर, अभिनिर्देश न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा और संतुष्टि को अभिलिखित करेगा कि मध्यस्थता निपटान वास्तविक, विधिपूर्ण, स्वेच्छया, प्रपीडन, असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन के बिना है और इसे स्वीकार करने में कोई अन्य अड़चन नहीं है;

घ. न्यायालय, उक्त प्रभाव के कथन के साथ निपटारे के निबंधनों को पालन करने के लिए पक्षकारों के स्पष्ट वचन के साथ मध्यस्थता निपटारे को प्रतिज्ञान करते हुए पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के कथन को शपथ पर अभिलिखित करेगा;

ड. यदि संतुष्ट हो जाते हैं, तो न्यायालय निपटारे के निबंधनों के अनुसार कोई आदेश पारित करेगा;

च. यदि मुख्य याचिका, जिसे निर्देशित किया गया था, लंबित है, तो अभिनिर्देश न्यायालय द्वारा उसके निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाएगा;

छ. यदि मुख्य याचिका, जिसमें निर्देशन किया गया था, निपटारा किया जाता है, तो मध्यस्थता निपटान और मामला अभिनिर्देश न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो खंड (iii), खंड (iv) और खंड (v) के अनुसार आदेशों को पारित करेगा;

ज. ऐसा मध्यस्थता निपटान की प्राप्ति और प्रभाव वहीं होगा जैसा कि माध्यस्थतम् पंचाट का होता है और अधिनियम की धारा 36 के अधीन विहित रीति में प्रवृत्त हो सकेगा।

(3) सुलह के लिए विवाद के निदेशन के संबंध में, इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सुलह प्रक्रियाएं इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन पक्षकारों द्वारा आरंभ की गई थीं।

8ख. विवाद को माध्यस्थतम् या सुलह को निर्दिष्ट करने हेतु, अधिनियम की धारा 34 या धारा 37 के अधीन न्यायालय की शक्ति, मामलों का अभिग्रहण —

(1) अधिनियम की धारा 34 या धारा 37 के अधीन याचिकाओं के लंबन के दौरान, न्यायालय के समक्ष यह आता है कि निपटारे के तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेगा, न्यायालय, पक्षकारों की सहमति से, उनके विवादों के समाधान के लिए पक्षकारों को --

(क) माध्यस्थतम्; या

(ख) सुलह।

के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।”

(2) विवादों को माध्यस्थतम हेतु निर्देशन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है -

क. जहां विवाद, माध्यस्थम सहायता द्वारा समाधान के लिए निर्देशित किया गया है, वहां अधिनियम के अधीन विरचित प्रक्रिया लागू होगी;

ख. विवाद के सफलतापूर्वक समाधान की दशा में, मध्यस्थ, मध्यस्थता निपटारे के लिए अभिनिर्देश न्यायालय को तत्काल भेज देगा;

ग. मध्यस्थता निपटारे की प्राप्ति पर, अभिनिर्देश न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा और संतुष्टि को अभिलिखित करेगा कि मध्यस्थता निपटान वास्तविक, विधिपूर्ण, स्वेच्छया, प्रपीडन, असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन के बिना है और इसे स्वीकार करने में कोई अन्य अड़चन नहीं है;

घ. न्यायालय, उक्त प्रभाव के कथन के साथ निपटारे के निबंधनों को पालन करने के लिए पक्षकारों के स्पष्ट वचन के साथ मध्यस्थता निपटारे को प्रतिज्ञान करते हुए पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के कथन को शपथ पर अभिलिखित करेगा;

ड. यदि संतुष्ट हो जाते हैं, तो न्यायालय निपटारे के निबंधनों के अनुसार कोई आदेश पारित करेगा;

च. यदि मुख्य याचिका, जिसे निर्देशित किया गया था, लंबित है, तो अभिनिर्देश न्यायालय द्वारा उसके निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाएगा;

छ. यदि मुख्य याचिका, जिसमें निर्देशन किया गया था, निपटारा किया जाता है, तो मध्यस्थता निपटान और मामला अभिनिर्देश न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो खंड (iii), खंड (iv) और खंड (v) के अनुसार आदेशों को पारित करेगा;

ज. ऐसा मध्यस्थता निपटान की प्राप्ति और प्रभाव वहीं होगा जैसा कि माध्यस्थम पंचाट का होता है और अधिनियम की धारा 36 के अधीन विहित रीति में प्रवृत्त हो सकेगा।

(3) सुलह के लिए विवाद के निदेशन के संबंध में, अधिनियम के भाग 3 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सुलह प्रक्रियाएं इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन पक्षकारों द्वारा आरंभ की गई थीं।”

3. धारा 29क का संशोधन.-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(1) पंचाट, माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, माध्यस्थम अधिकरण के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को निर्देश ग्रहण कर लिया है जिसको, यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों ने अपनी नियुक्ति की सूचना लिखित में प्राप्त कर ली है।”;

(ख) उपधारा (4) में, दूसरा और तीसरा परंतुक का लोप किया जाता है।

4. धारा 34 का संशोधन,--

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाती है, अर्थात् :-

“(2क) किसी माध्यस्थम् पंचाट को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पंचाट को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि वह प्रकट अवैधता से दूषित है :

परंतु किसी पंचाट को केवल विधि के गलत रूप से लागू किए जाने के आधार पर या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अपास्त नहीं किया जाएगा।”;

(ii) उपधारा (3) में,-

(i) "तीन मास" के स्थान पर "छह मास" रखा जाएगा;

(ii) उसके परंतुक में, "तीन मास" और "तीस दिन" के स्थान पर "छह मास" और "साठ दिन" क्रमशः रखे जाएंगे ;

5. जनगणना अधिनियम, 1948

(1948 का 37)

धारा 2 क. विलोपित करे।

6. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का 12)

धारा 2.-- (i) खंड (114) में, उपखंड (ड) में, "और" का लोप किया जाता है और उपखंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :--

"(डक) लद्दाख; और"; और

(ii) खंड (121) का लोप किया जाता है।

7. चलचित्र अधिनियम, 1952

(1952 का 37)

धारा 2क. विलोपित करे।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(1908 का 5)

1. धारा 35.-- धारा 35 में, उपधारा (1) में "वाणिज्यिक" का लोप किया जाता है।

2. धारा 35-क.-- धारा 35-क में, उपखंड (2) का लोप।

3. प्रथम अनुसूची का संशोधन.--संहिता की प्रथम अनुसूची में,--

(क) आदेश 5 के, नियम 1 में, उपनियम (1) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चे का, जो न्यायालय ठीक समझे, संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन की तारीख की तारीख से एक सौ बीस दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तारीख की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।";

(ख) आदेश 7 में, नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"2क. जहां वाद में ब्याज ईप्सित है—(1) जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है, वहां वादपत्र में उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन उपवर्णित ब्यौरे के साथ उस प्रभाव का एक कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(2) जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है, वहां वादपत्र में यह कथन किया जाएगा कि क्या वादी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 34 के अर्थान्तर्गत किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में ब्याज की ईप्सा कर रहा है और इसके अतिरिक्त, यदि वादी, ऐसा किसी संविदा के निबंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है, तो उस दशा में वादपत्र में उस अधिनियम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा या यदि वह ऐसा किसी अन्य आधार पर कर रहा है तो उस आधार का कथन किया जाएगा।

(3) अभिवचनों में निम्नलिखित का भी कथन किया जाएगा,—

- (क) ऐसी दर, जिस पर ब्याज का दावा किया गया है;
- (ख) ऐसी तारीख, जिससे उसका दावा किया गया है;
- (ग) ऐसी तारीख, जिसको उसकी संगणना की गई है;
- (घ) संगणना की तारीख को दावा किए गए ब्याज की कुल रकम; और
- (ङ) दैनिक दर, जिस पर उस तारीख के पश्चात् ब्याज प्रोद्भूत होता है।”;

(ग) आदेश 8 में,—

(i) नियम 1 में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चों का, जो न्यायालय ठीक समझे, संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।”;

(ii) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3क. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान—(1) इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (5) में उपबंधित रीति से प्रत्याख्यान किया जाएगा।

(2) प्रतिवादी अपने लिखित कथन में यह कथन करेगा कि वादपत्र की विशिष्टियों में किन अभिकथनों का वह प्रत्याख्यान करता है, किन अभिकथनों को वह स्वीकार करने या उनका प्रत्याख्यान करने में असमर्थ है किंतु जिनको वह वादी से साबित करने की अपेक्षा करता है और किन अभिकथनों को वह स्वीकार करता है।

(3) जहां प्रतिवादी किसी वादपत्र में तथ्य के किसी अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, वहां उसे ऐसा करने के अपने कारणों का कथन करना होगा और यदि उसका आशय वादी द्वारा जो घटनाओं का विवरण दिया गया है, उससे भिन्न विवरण पेश करने का है तो उसे अपने स्वयं के विवरण का कथन करना होगा।

(4) यदि प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति विवाद करता है जो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो इस बारे में उसे अपना स्वयं का कथन करना होगा कि किस न्यायालय की अधिकारिता होनी चाहिए।

(5) यदि प्रतिवादी वादी के वाद के मूल्यांकन के प्रति विवाद करता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो उसे वाद के मूल्य के बारे में अपना स्वयं का कथन करना होगा।”;

(iii) नियम 5 में, उपनियम (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन को, यदि इस आदेश के नियम 3क के अधीन उपबंधित रीति से उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, तो नियोग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन होने के सिवाय, स्वीकार किया जाने वाला माना जाएगा।”;

(iv) नियम 10 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि कोई न्यायालय, लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा।";

(घ) संहिता के आदेश 11 के स्थान पर निम्नलिखित आदेश को रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आदेश 11

दस्तावेजों का प्रकटन, प्रकटीकरण और निरीक्षण

1. दस्तावेजों का प्रकटन और प्रकटीकरण—(1) वादी, वादपत्र के साथ वाद से संबद्ध ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची और ऐसे सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां फाइल करेगा, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, —

(क) ऐसे दस्तावेज, जो वादी द्वारा वादपत्र में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर उसने निर्भर किया है;

(ख) कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित दस्तावेज, जो वादपत्र फाइल किए जाने की तारीख को वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में है, इस बात पर विचार किए बिना कि वह वादी के पक्षकथन के समर्थन में है या उसके प्रतिकूल है; और

(ग) इस नियम में की कोई बात वादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को और ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो केवल, —

(i) प्रतिवादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए सुसंगत है; या

(ii) वादपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी पक्षकथन का उत्तर देने के लिए सुसंगत हैं; या

(iii) किसी साक्षी को उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए है।

(2) वादपत्र के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसे दस्तावेज, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, मूल दस्तावेज हैं अथवा कार्यालय प्रतियां हैं, या फोटोप्रतियां हैं और सूची में प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के व्यौरे, प्रत्येक दस्तावेज के निष्पादन, जारी करने या उसकी प्राप्ति के ढंग और उसकी अभिरक्षा की पंक्ति को भी संक्षेप में उपवर्णित किया जाएगा।

(3) वादपत्र में वादी की ओर से सशपथ यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित ऐसे सभी दस्तावेजों का, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, प्रकटन कर दिया गया है और उसकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न कर दी गई हैं और वादी के पास उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के अधीन सशपथ घोषणा परिशिष्ट में यथा उपवर्णित सत्यता के कथन में अंतर्विष्ट होगी।

(4) वादी शपथ-पत्र के अर्जेन्ट फाइल किए जाने की दशा में, उसका उपरोक्त घोषणा के भागरूप और न्यायालय द्वारा ऐसी इजाजत दिए जाने के अधीन रहते हुए अतिरिक्त दस्तावेजों पर निर्भर करने की इजाजत की ईप्सा कर सकेगा और वादी, न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज सशपथ ऐसी घोषणा के साथ कि वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में के सभी दस्तावेज पेश कर दिए गए हैं और वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं, वाद फाइल किए जाने के तीस दिन के भीतर फाइल करेगा।

(5) वादी को न्यायालय की इजाजत के सिवाय, ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और उनका वादपत्र के साथ या ऊपर उपवर्णित विस्तारित अवधि के भीतर प्रकटन नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत केवल वादी को वादपत्र के साथ अप्रकटन के युक्तियुक्त कारण सिद्ध किए जाने पर ही दी जाएगी।

(6) वादपत्र में ऐसे दस्तावेजों के व्यौरों को उपवर्णित किया जाएगा जिनके बारे में वादी को यह विश्वास है कि वे प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर वादी निर्भर करना चाहता है और जिनको उक्त प्रतिवादी द्वारा उनके पेश किए जाने की इजाजत की ईप्सा करता है।

(7) प्रतिवादी, वाद से संबद्ध ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची और ऐसे सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, लिखित कथन के साथ या उसके प्रतिदावे के साथ, यदि कोई हो, फाइल करेगा, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) ऐसे दस्तावेज, जो प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर वह निर्भर करता है;

(ख) कार्यवाही में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित ऐसे सभी दस्तावेज, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, इस बात पर विचार किए बिना कि वे प्रतिवादी की प्रतिरक्षा के समर्थन में हैं या उसके प्रतिकूल;

(ग) इस नियम की कोई बात प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को और ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो केवल,—

(i) वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, या

(ii) वादपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् वादी द्वारा किए गए किसी पक्षकथन का उत्तर देने के लिए सुसंगत हैं; या

(iii) किसी साक्षी को उसकी समृति को ताजा करने के लिए हैं।

(8) लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसे दस्तावेज, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, मूल दस्तावेज हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या फोटोप्रतियां हैं और सूची में प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, प्रत्येक दस्तावेज के निष्पादन, जारी करने या उसकी प्राप्ति के ढंग और उसकी अभिरक्षा की पंक्ति को भी संक्षेप में उपवर्णित किया जाएगा।

(9) अभिसाक्षी द्वारा लिखित कथन या प्रतिदावे में सशपथ यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि उन दस्तावेजों के सिवाय, जो उपरोक्त उपनियम (7) (ग) (iii) में उपवर्णित हैं, ऐसे सभी दस्तावेजों का, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों या प्रतिदावे में के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, प्रकटन कर दिया गया है और उसकी प्रतियां लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ संलग्न कर दी गई हैं और यह कि प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

(10) प्रतिवादी को उपनियम (7) (ग) (iii) के सिवाय, ऐसे दस्तावेजों पर न्यायालय की इजाजत के सिवाय, निर्भर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जिनका लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ प्रकटन नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत केवल प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ अप्रकटन के युक्तियुक्त कारण सिद्ध किए जाने पर ही दी जाएगी।

(11) लिखित कथन या प्रतिदावे में ऐसे दस्तावेजों के ब्यौरों को उपवर्णित किया जाएगा जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर प्रतिवादी निर्भर करना चाहता है और जिनका वादपत्र में प्रकटन नहीं किया गया है और जिनकी वादी द्वारा उन्हें पेश किए जाने की मांग की गई है।

(12) ऐसे दस्तावेजों के प्रकटन का कर्तव्य, जो किसी पक्षकार की जानकारी में आते हैं, वाद का निपटारा होने तक बना रहेगा।

2. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण—(1) किसी भी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाजत से परिदत्त कर सकेगा और परिदत्त किए जाते समय परिप्रश्नों में यह पाद टिप्पण होगा कि ऐसे व्यक्तियों में से हर एक ऐसे परिप्रश्नों में से किनका उत्तर देने के लिए अपेक्षित है:

परंतु कोई भी पक्षकार एक ही पक्षकार को परिप्रश्न के एक सवर्ग से अधिक उस प्रयोजन के लिए आदेश के बिना परिदत्त नहीं करेगा:

परंतु यह और कि वे परिप्रश्न जो वाद में प्रश्नगत किन्हीं विषयों से संबंधित नहीं हैं, इस बात के होते हुए भी विसंगत समझे जाएंगे कि साक्षी की मौखिक प्रतिपरीक्षा करने में वे ग्राह्य होते।

(2) परिप्रश्नों के परिदान के लिए इजाजत के लिए आवेदन पर वे विशिष्ट परिप्रश्न, जिनका परिदान किए जाने की प्रस्थापना है, न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे और वह न्यायालय उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दिन से सात दिन के भीतर विनिश्चय करेगा, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने में न्यायालय किसी ऐसी प्रस्थापना पर भी विचार करेगा जो उस पक्षकार ने, जिससे परिप्रश्न किया जाना है, प्रश्नगत बातों या उनमें से किसी से संबंधित विशिष्टियों को परिदत्त करने या स्वीकृतियां करने या दस्तावेज पेश करने के लिए की हों और उसके समक्ष रखे गए परिप्रश्नों में से केवल ऐसे परिप्रश्नों के संबंध में इजाजत दी जाएगी जिन्हें न्यायालय या तो वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) वाद के खर्चों का समायोजन करने में ऐसे परिप्रश्नों के प्रदर्शन के औचित्य के संबंध में जांच किसी पक्षकार की प्रेरणा पर की जाएगी और यदि विनिर्धारक अधिकारी या न्यायालय की राय, जांच के आवेदन पर या ऐसे आवेदन के बिना, यह हो कि ऐसे परिप्रश्न अयुक्तियुक्ततः तंग करने के लिए या अनुचित विस्तार के साथ पेश किए गए हैं तो उक्त परिप्रश्नों और उनके उत्तरों के कारण हुए खर्च किसी भी स्थिति में उस पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसने यह कसूर किया है।

(4) परिप्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 2 में दिए गए प्ररूप में ऐसे फेरफार के साथ होंगे, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

(5) जहां वाद का कोई पक्षकार निगम या व्यक्तियों का ऐसा निकाय है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो विधि द्वारा सशक्त है कि स्वयं अपने नाम से या किसी अधिकारी के या अन्य व्यक्ति के नाम से वाद ला सके या उस पर वाद लाया जा सके वहां कोई भी विरोधी पक्षकार ऐसे निगम या निकाय के किसी भी सदस्य या अधिकारी को परिप्रश्न परिदत्त करने के लिए अपने को अनुज्ञा देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और आदेश तदनुसार किया जा सकेगा।

(6) किसी भी परिप्रश्न का उत्तर देने की बाबत इस आधार पर कि वह परिप्रश्न कलंकालम्बक या विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है या वे विषय, जिनके बारे में पूछताछ की गई है, उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्त्विक नहीं हैं, या विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथ-पत्र में किया जा सकेगा।

(7) कोई भी परिप्रश्न इस आधार पर अपास्त किए जा सकेंगे कि वे अयुक्तियुक्त : या तंग करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं या इस आधार पर काट दिए जा सकेंगे कि वे अतिविस्तृत, पीड़ा पहुंचाने वाले, अनावश्यक या कलंकालम्बक हैं और इस प्रयोजन के लिए कोई भी आवेदन परिप्रश्नों की तामील के पश्चात् सात दिन के भीतर किया जा सकेगा।

(8) परिप्रश्नों का उत्तर शपथ-पत्र द्वारा दिया जाएगा, जो दस दिन के भीतर या ऐसे अन्य समय के भीतर, जो न्यायालय अनुज्ञात करे, फाइल किया जाएगा।

(9) परिप्रश्नों के उत्तर में दिया गया शपथ-पत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 3 में दिए गए प्ररूप में ऐसे फेरफार के साथ होगा जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

(10) उत्तर में दिए गए किसी शपथ-पत्र पर कोई भी आक्षेप नहीं किए जाएंगे, किन्तु ऐसे किसी शपथ-पत्र के अपर्याप्त होने का आक्षेप किए जाने पर उसका पर्याप्त होना या न होना न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति जिससे परिप्रश्न किया गया है उत्तर देने का लोप करता है या अपर्याप्त उत्तर देता है वहां परिप्रश्न करने वाला पक्षकार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उस पक्षकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह, यथास्थिति, उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे और उससे यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया जा सकेगा कि वह, न्यायालय द्वारा जैसा भी निदेश दिया जाए, या तो शपथ-पत्र द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे।

3. निरीक्षण—(1) सभी पक्षकार प्रकट किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण, लिखित कथन फाइल करने या प्रतिदावे का लिखित कथन फाइल करने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्कर्ती हो, तीस दिन के भीतर पूरा करेंगे। न्यायालय आवेदन किए जाने पर इस समय-सीमा को अपने विवेकानुसार बढ़ा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में ऐसा विस्तार तीस दिन से अधिक का नहीं होगा।

(2) कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, अन्य पक्षकार से ऐसे दस्तावेजों को, जिनके निरीक्षण के लिए उस पक्षकार द्वारा इंकार कर दिया गया है या उन दस्तावेजों को उन्हें पेश किए जाने की सूचना जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं किया गया है, उनका निरीक्षण करने या पेश करने के लिए न्यायालय से निदेश की ईप्सा कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी आवेदन के संबंध में आदेश, ऐसा आवेदन फाइल किए जाने के, जिसके अन्तर्गत उत्तर और प्रत्युत्तर (यदि न्यायालय अनुज्ञात करे) फाइल करना और उनकी सुनवाई भी है, तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(4) यदि उपरोक्त आवेदन अनुज्ञात किया जाता है तो ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर ईप्सा करने वाले पक्षकार को निरीक्षण और इसकी प्रतियां दी जाएंगी।

(5) किसी भी पक्षकार को, न्यायालय की इजाजत के सिवाय, ऐसे किसी दस्तावेज पर निर्भर होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसे वह प्रकट करने में असफल रहा है या जिसका निरीक्षण नहीं करने दिया गया है।

(6) न्यायालय किसी ऐसे व्यक्तिक्रमी पक्षकार के विरुद्ध, जो जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी वाद से संबंधित ऐसे या उस मामले में विनिश्चय के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्रकट करने में असफल रहा है और जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा के अधीन थे या जहां कोई न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किन्हीं दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी प्रतियों को गलत तौर पर या अयुक्तियुक्त रूप से विध्वंसित किया गया है या उससे इंकार किया गया है, निदर्शात्मक खर्चें अधिरोपित कर सकेगा।

4. दस्तावेजों की स्वीकृति और प्रत्याख्यान—(1) प्रत्येक पक्षकार उन सभी दस्तावेजों को, जो प्रकटित हैं और जिनका निरीक्षण पूरा हो गया है, निरीक्षण पूरा होने की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा यथा नियत किसी पश्चात्कर्ती तारीख को स्वीकृतियों या प्रत्याख्यानों का एक विवरण भेजेगा।

(2) स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों के विवरण में सुस्पष्ट रूप से यह उपवर्णित होगा कि क्या ऐसे पक्षकार ने निम्नलिखित की स्वीकृति दी है या उसका प्रत्याख्यान किया है,—

- (क) दस्तावेज की अंतर्वस्तु की शुद्धता;
- (ख) दस्तावेज का अस्तित्व;
- (ग) दस्तावेज का निष्पादन;
- (घ) दस्तावेज का जारी होना या प्राप्ति;
- (ङ) दस्तावेज की अभिरक्षा।

स्पष्टीकरण—उपनियम (2) का खंड (ख) के अनुसार दस्तावेज के अस्तित्व की स्वीकृति या प्रत्याख्यान से संबंधित विवरण में दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं की स्वीकृति या उनका प्रत्याख्यान सम्मिलित होगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार उपरोक्त में से किसी आधार पर दस्तावेज के प्रत्याख्यान के कारणों को उपवर्णित करेगा और कोरे और असमर्थित प्रत्याख्यान को किसी दस्तावेज का प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं समझा जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के सबूत से न्यायालय के विवेकानुसार अभिमुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(4) तथापि, कोई पक्षकार कोरे प्रत्याख्यान किसी ऐसे अन्य पक्षकार के दस्तावेजों के लिए पेश कर सकेगा जिनकी प्रत्याख्यान कर रहे पक्षकार को किसी भी प्रकार से, किसी रीति में उसकी कोई निजी जानकारी नहीं है, और जिसमें प्रत्याख्यान कर रहा पक्षकार कोई पक्षकार नहीं है।

(5) स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों के विवरण के समर्थन में एक शपथ-पत्र, विवरण की अंतर्वस्तुओं की शुद्धता की पुष्टि करते हुए फाइल किया जाएगा।

(6) यदि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किसी पक्षकार ने उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अधीन किसी दस्तावेज को ग्रहण करने से असम्यक् रूप से इंकार किया है, तो किसी दस्तावेज की ग्राह्यता का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय द्वारा उस पक्षकार पर खर्चें (जिसमें निदर्शात्मक खर्चें भी हैं) अधिरोपित किए जा सकेंगे।

(7) न्यायालय, गृहीत दस्तावेजों के, जिनके अंतर्गत उस पर और सबूत का अधित्यजन या किन्हीं दस्तावेजों का अस्वीकार करना भी है, आदेश पारित कर सकेगा।

5. दस्तावेजों का पेश किया जाना—(1) किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किसी पक्षकार या व्यक्ति द्वारा, ऐसे दस्तावेजों को, जो उस पक्षकार या व्यक्ति के कब्जे में हैं, ऐसे वाद के किसी प्रश्नगत विषय के संबंध में पेश करने की ईप्सा कर सकेगा या न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा।

(2) ऐसे दस्तावेज को पेश करने की सूचना सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ग के प्ररूप सं० 7 में उपबंधित प्ररूप में जारी की जाएगी।

(3) किसी भी ऐसे पक्षकार या व्यक्ति को, जिसे दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी की गई है, ऐसे दस्तावेज को पेश करने या ऐसे दस्तावेज को पेश करने की अपनी असमर्थता बताने के लिए सात दिन से अन्यून और पन्द्रह दिन से अनधिक का समय दिया जाएगा।

(4) न्यायालय, दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इंकार करने वाले और जहां इस प्रकार दस्तावेज पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं, किसी पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकेगा और खर्चों के बारे में आदेश कर सकेगा।

6. इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख—(1) इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रकटन और निरीक्षण की दशा में [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथा परिभाषित, मुद्रित प्रति देना] उपर्युक्त उपबंधों की अनुपालना के लिए पर्याप्त होगा।

(2) पक्षकारों के विवेक पर या जहां अपेक्षित हो (जब पक्षकार दृश्य-श्रव्य अंतर्वस्तु पर निर्भर करने के इच्छुक हों) इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रतियां या तो मुद्रित प्रति के अतिरिक्त या उसके बदले में इलैक्ट्रॉनिक रूप दी जा सकेगी।

(3) जहां इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रकटित दस्तावेजों के भागरूप हैं, वहां किसी पक्षकार द्वारा फाइल की जाने वाली सशपथ घोषणा में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,—

(क) ऐसे इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के पक्षकार;

(ख) वह रीति, जिसमें ऐसा इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था;

(ग) ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के तैयार किए जाने या भंडारण या जारी अथवा प्राप्त किए जाने की तारीख और समय;

(घ) ऐसे इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का स्रोत और वह तारीख और समय, जब इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख मुद्रित किया गया था ;

(ङ) ई-मेल आईडी की दशा में, ऐसे ई-मेल आईडी के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे ;

(च) किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर भंडारित (जिसके अंतर्गत बाह्यसर्वर या क्लाउड भी है) दस्तावेजों की दशा में, कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर ऐसे डाटा के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे ;

(छ) अभिसाक्षी की अंतर्वस्तुओं की और अंतर्वस्तुओं की सत्यता की जानकारी ;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेजों या डाटा को तैयार करने या प्राप्त करने या भंडारित करने के लिए प्रयुक्त कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत उचित रूप से कार्य कर रहा था या अपक्रिया की दशा में ऐसी अपक्रिया से भंडारित दस्तावेज की अंतर्वस्तुएं प्रभावित नहीं हुई ;

(झ) दी गई मुद्रित प्रति या प्रति मूल कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत से ली गई थी।

(4) किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की मुद्रित प्रति या इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रति पर निर्भर करने वाले पक्षकारों से इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के निरीक्षण कराए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परंतु यह तब जब ऐसे पक्षकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि ऐसी प्रत्येक प्रति, जो पेश की गई है, मूल इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख से बनाई गई है।

(5) न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के लिए निदेश दे सकेगा।

(6) कोई भी पक्षकार न्यायालय से निदेश की ईप्सा कर सकेगा और न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा पर किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का, जिसके अंतर्गत मेटाडाटा या लॉग्स भी हैं, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के ग्रहण किए जाने के पूर्व अतिरिक्त सबूत पेश करने का निदेश जारी कर सकेगा।

(ड.) आदेश 15क का अंतःस्थापन—संहिता के आदेश 15 के पश्चात् निम्नलिखित आदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“आदेश 15क

मामला प्रबंधन सुनवाई

1. **प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई**—न्यायालय प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई, वाद के सभी पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों की स्वीकृति का या उनके प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र फाइल करने की तारीख से चार सप्ताह के अपश्चात् करेगा।

2. **मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित किए जाने वाले आदेश**—मामला प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और जब न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इसमें ऐसे तथ्य और विधि विषयक विवादक हैं, जिन पर विचारण किया जाना अपेक्षित है, तो वह—

(क) अभिवचनों, दस्तावेजों और उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की परीक्षा करने के पश्चात् और सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) के आदेश 10 के नियम 2 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई परीक्षा पर यदि अपेक्षित हो, आदेश 14 के अनुसार पक्षकारों के बीच विवादकों को विरचित करने वाला;

(ख) उन साक्षियों को, जिनकी पक्षकारों द्वारा परीक्षा की जानी है, सूचीबद्ध करने वाला ;

(ग) वह तारीख नियत करने वाला, जिस तक साक्ष्य का शपथ-पत्र पक्षकारों द्वारा फाइल किया जाना है ;

(घ) वे तारीखें नियत करने वाला, जिनको पक्षकारों के साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है ;

(ङ) वह तारीख नियत करने वाला, जिस तक पक्षकारों द्वारा लिखित तर्क न्यायालय के समक्ष फाइल, किए जाने हैं ;

(च) वह तारीख नियत करने वाला, जिसको मौखिक बहस न्यायालय द्वारा सुनी जानी है ; और

(छ) मौखिक बहस के लिए पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के लिए समय सीमाएं तय करने वाला,

आदेश पारित कर सकेगा।

3. **विचारण पूरा करने की समय सीमा**—इस आदेश के नियम 2 के प्रयोजनों के लिए तारीखें, नियत करने या समय सीमाएं तय करने में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बहस प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख से छह मास तक पूरी की जाए।

4. **दिन प्रतिदिन आधार पर मौखिक साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना**—न्यायालय यथासंभव यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य का अभिलेख दिन प्रतिदिन आधार पर तब तक किया जाएगा, जब तक कि सभी साक्षियों की प्रतिरक्षा पूरी नहीं हो जाती है।

5. **विचारण के दौरान मामला प्रबंधन सुनवाई**—न्यायालय, यदि आवश्यक हो, समुचित आदेश जारी करने के लिए विचारण के दौरान किसी भी समय मामला प्रबंधन सुनवाई भी कर सकेगा जिससे नियम 2 के अधीन नियत तारीखों का पक्षकारों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जा सके और वाद के त्वरित निपटान को सुकर बनाया जा सके।

6. **मामला प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय की शक्तियां**—(1) इस आदेश के अधीन हुई किसी मामला प्रबंधन सुनवाई में, न्यायालय को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी—

(क) विवादकों को विरचित करने से पूर्व, आदेश 13क के अधीन पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए लंबित आवेदन पर सुनवाई करना तथा उस पर विनिश्चय करना ;

(ख) ऐसे दस्तावेजों या अभिवचनों के संकलन को, जो विवादकों को विरचित करने के लिए सुसंगत तथा आवश्यक हों, फाइल करने के लिए पक्षकारों को निदेश देना ;

(ग) किसी पद्धति, निदेश या न्यायालय आदेश का अनुपालन करने के लिए समय बढ़ाना या उसे कम करना, यदि उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाई पड़ता है ;

- (घ) सुनवाई को स्थगित करना या अग्रणीत करना, यदि न्यायालय को ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाई पड़ता है ;
- (ङ) आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पक्षकार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए निदेश देना ;
- (च) कार्यवाहियों को समेकित करना ;
- (छ) किसी साक्षी के नाम अथवा ऐसे साक्ष्य को हटाना, जिसे वह विरचित विवादों के प्रति असंगत समझे ;
- (ज) किसी विवादक के पृथक् विचारण का निदेश देना ;
- (झ) ऐसे आदेश का विनिश्चय करना, जिसमें विवादक पर विचारण किया जाएगा ;
- (ञ) किसी विवादक को उस पर विचार किए जाने से अपवर्जित करना ;
- (ट) प्रारंभिक विवादक पर विनिश्चय के पश्चात् किसी दावे को खारिज करना या उस पर निर्णय देना ;
- (ठ) आदेश 26 के अनुसार जहां आवश्यक हो, किसी कमीशन द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने का निदेश देना ;
- (ड) पक्षकारों द्वारा फाइल किए ऐसे साक्ष्य के किसी शपथ-पत्र को, जिसमें असंगत, अग्राह्य या तर्कात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट है, नामंजूर करना ;
- (ढ) पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए साक्ष्य के शपथ-पत्र के किसी भाग को जिसमें असंगत, अग्राह्य या तर्कात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट है, हटाना ;
- (ण) साक्ष्य के अभिलेखन कार्य इस प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करना ;
- (त) किसी कमीशन या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य अभिलेखन को मॉनीटर करने से संबंधित कोई आदेश पारित करना ;
- (थ) किसी पक्षकार को खर्चों के बजट को फाइल करने तथा उसका आदान-प्रदान करने के लिए आदेश देना ;
- (द) मामले का प्रबंधन करने और वाद के दक्षतापूर्वक निपटान को सुनिश्चित करने के अध्यारोही उद्देश्य को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी करना या कोई आदेश पारित करना ।

(2) जब न्यायालय इस आदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता है, तो वह—

- (क) ऐसा आदेश, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनमें एक शर्त न्यायालय में धनराशि का संदाय करने का भी है, कर सकेगा ; और
- (ख) आदेश या किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख नियत करते समय, यदि न्यायालय का यह मत है कि पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना है तो वह ऐसी मामला प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को भी उपस्थित रहने का निदेश दे सकेगा ।

7. मामला प्रबंधन सुनवाई का स्थगन—(1) न्यायालय मात्र इस कारण से कि किसी पक्षकार की ओर से उपसंज्ञात होने वाला अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, मामला प्रबंधन सुनवाई स्थगित नहीं करेगा:

परन्तु यदि सुनवाई के स्थगन की ईप्सा अग्रिम में आवेदन करके की जाती है, तो न्यायालय ऐसे आवेदन करने वाले पक्षकार द्वारा ऐसे खर्चों के संदाय पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा ।

(2) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति का न्यायोचित कारण है तो वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा ।

8. आदेशों के अनुपालन के परिणाम—जहां कोई पक्षकार मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति होगी,—

- (क) न्यायालय को, खर्चों के संदाय पर, ऐसे अननुपालन को माफ करना ;

(ख) विचारण में, यथास्थिति, अनुपालन न करने वाले पक्षकार के शपथ-पत्र फाइल करने, साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने, लिखित निवेदन फाइल करने, मौखिक बहस करने या आगे और तर्क देने के अधिकार को पुरोबंध करना ; या

(ग) जहां ऐसा अनुपालन जानबूझकर किया गया है, पुनः किया गया है और खर्च का अधिरोपण, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वादपत्र को खारिज करना या वाद को मंजूर करना ।”

(च) आदेश 18 का संशोधन—संहिता के आदेश 18 में,-

(I) नियम 2 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(3क) कोई पक्षकार मौखिक बहस आरंभ होने से पूर्व चार सप्ताह के भीतर न्यायालय को अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न शीर्षों के अधीन लिखित तर्क पेश करेगा और ऐसे लिखित तर्क अभिलेख का भाग होंगे ।

(3ख) लिखित तर्कों में समर्थन में उद्धृत की जा रही विधियों के उपबंधों तथा पक्षकार द्वारा जिन निर्णयों के उद्धरणों पर निर्भर किया जा रहा है, उनको स्पष्टतया उपदर्शित किया जाएगा और उसमें पक्षकार द्वारा निर्भर किए जा रहे ऐसे निर्णयों की प्रतियां होंगी ।

(3ग) ऐसे लिखित तर्कों की प्रति उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी ।

(3घ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है तो बहस के समाप्त हो जाने पर, बहस की समाप्ति की तारीख के पश्चात् एक सप्ताह से अनधिक की अवधि के भीतर पुनरीक्षित लिखित तर्क फाइल करने के लिए पक्षकारों को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3ङ) लिखित तर्क फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा स्थगन मंजूर करना वह आवश्यक न समझे ।

(3च) न्यायालय मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए मौखिक निवेदनों के लिए समय को सीमित करने के लिए स्वतंत्र होगा ।”

(II) नियम 4 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(1क) सभी साक्षियों के साक्ष्य शपथ-पत्र, जिनका किसी पक्षकार द्वारा साक्ष्य दिया जाना प्रस्तावित है, प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई में निर्दिष्ट समय पर उस पक्षकार द्वारा समसामयिक रूप से फाइल किए जाएंगे ।

(1ख) कोई पक्षकार किसी साक्षी का (जिसके अंतर्गत ऐसा साक्षी भी है, जो पहले ही शपथ-पत्र फाइल कर चुका है) शपथ-पत्र द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य तब तक पेश नहीं करेगा, जब तक उस प्रयोजन के लिए आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिया जाता है और न्यायालय द्वारा ऐसे अतिरिक्त शपथ-पत्र को अनुज्ञात करने का कारण देते हुए आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

(1ग) तथापि, किसी पक्षकार को उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा प्रारम्भ होने से पहले किसी समय पर इस प्रकार फाइल किए गए किन्हीं शपथ-पत्रों के ऐसे प्रत्याहरण के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले बिना प्रत्याहरण का अधिकार होगा :

परंतु कोई अन्य पक्षकार साक्ष्य देने का हकदार होगा और ऐसे प्रत्याहृत शपथ-पत्र में की गई किसी स्वीकृत पर निर्भर करने का हकदार होगा।”

(छ) आदेश 19 का संशोधन—संहिता के आदेश 19 के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“4. न्यायालय साक्ष्य नियंत्रित कर सकेगा—(1) न्यायालय, निदेशों द्वारा, ऐसे विवादों के बारे में, जिनमें साक्ष्य अपेक्षित है, साक्ष्य को और ऐसी रीति को, जिससे ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकेगा, विनियमित कर सकेगा ।

(2) न्यायालय, स्वविवेकानुसार और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे साक्ष्य को अपवर्जित कर सकेगा, जो पक्षकारों द्वारा अन्यथा पेश किया जाए ।

5. साक्ष्य का संशोधन या खारिज किया जाना—न्यायालय, स्वविवेकानुसार ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं,—

(i) मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र के ऐसे भाग का, जिससे उसकी दृष्टि में साक्ष्य का गठन नहीं होता है, संशोधन कर सकेगा या संशोधन करने का आदेश कर सकेगा ; या

(ii) ऐसे मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र को, जिससे ग्राह्य साक्ष्य का गठन नहीं होता है, वापस या खारिज कर सकेगा।

6. साक्ष्य के शपथ-पत्र का रूपविधान और मार्गदर्शक सिद्धान्त—किसी शपथ-पत्र में नीचे दिए गए प्ररूप और अपेक्षाओं का अनुपालन होगा :—

(क) ऐसा शपथ-पत्र ऐसी तारीखों और घटनाओं तक, जो किसी तथ्य या उससे संबंधित किसी अन्य विषय को साबित करने के लिए सुसंगत है, सीमित होगा और उसमें उन तारीखों और घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार अनुसरण करना होगा जो किसी तथ्य या उससे संबंधित किसी अन्य विषय को साबित करने के लिए सुसंगत है ;

(ख) जहां न्यायालय का यह मत है कि शपथ-पत्र केवल अभिवचनों का पुनः पेश किया जाना है या उसमें किन्हीं पक्षकारों के पक्षकथनों के विविध आधार अन्तर्विष्ट हैं, वहां न्यायालय, आदेश द्वारा शपथ-पत्र या शपथ-पत्र के ऐसे भागों को, जो वह ठीक और उपयुक्त समझे, काट सकेगा;

(ग) शपथ-पत्र का प्रत्येक पैरा, यथासंभव, विषय के सुभिन्न भाग तक सीमित होना चाहिए;

(घ) शपथ-पत्र में यह कथन होगा कि—

(i) इसमें के कौन से कथन अभिसाक्षी ने निजी ज्ञान से किए गए हैं और कौन से सूचना और विश्वास के विषय हैं ; और

(ii) सूचना या विश्वास के किन्हीं विषयों के स्रोत का कथन होगा ;

(ङ) (i) शपथ-पत्र के पृष्ठों को पृथक् दस्तावेज के रूप में (या किसी एक फाइल में अंतर्विष्ट विभिन्न दस्तावेजों को एक रूप में) क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित होना चाहिए ;

(ii) शपथ-पत्र संख्यांकित पैरा में विभाजित होना चाहिए ;

(iii) शपथ-पत्र में सभी संख्याओं को, जिनके अन्तर्गत तारीखें भी हैं, अंकों में अभिव्यक्त किया गया होना चाहिए; और

(iv) यदि शपथ-पत्र के पाठ में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी को किसी शपथ-पत्र या किन्हीं अन्य अभिवचनों से उपाबद्ध किया जाता है तो ऐसे उपाबंधों और ऐसे दस्तावेजों की, जिन पर निर्भर किया जाता है, पृष्ठ संख्याएं देनी चाहिए।”।

4. परिशिष्ट झ का अंतःस्थापन—परिशिष्ट ज के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट-झ

सत्य कथन

[पहली अनुसूची, आदेश 11—नियम 1, उपनियम(3) के अधीन]

मैं अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं:

1. मैं उक्त वाद में पक्षकार हूं और इस शपथ-पत्र में शपथ लेने के सक्षम हूं।

2. मैं मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हूं और मैंने उससे संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों की परीक्षा भी की है।

3. मैं यह कथन करता हूं कि पैरा में किया गया कथन, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा.....में किए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं जिनके मैं सही होने का विश्वास करता हूं और पैरा में किए गए कथन विधिक सलाह पर आधारित हैं।

4. मैं यह कथन करता हूं कि किसी भी तात्त्विक तथ्य, दस्तावेज या अभिलेख का मिथ्या कथन नहीं किया गया है या छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी सूचना को सम्मिलित किया है जो मेरे अनुसार इस वाद के लिए सुसंगत है।

5. मैं यह कथन करता हूँ कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में मेरे द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रकट पर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न हैं और यह कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

6. मैं यह कथन करता हूँ कि पूर्व उल्लिखित अभिवचन में कुल मिलाकर पृष्ठ हैं जो मेरे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हैं।

7. मैं यह कथन करता हूँ कि इसके उपाबंध, मेरे द्वारा निर्दिष्ट और निर्भर किए गए दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।

8. मैं यह कथन करता हूँ कि मुझे यह जानकारी है कि किसी मिथ्या कथन या छिपाए जाने के लिए मैं तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन रहूंगा।

स्थान:

तारीख:

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य हैं।

स्थान पर तारीख को सत्यापित

अभिसाक्षी

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का 2)

अ. धारा 24.— उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(6क).- उपधारा (1) और उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, ऐसे व्यक्ति जिसने अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष से अनधिक का व्यवसाय किया है, को उच्च न्यायालय के लिए और जिला न्यायालयों के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक और जिला न्यायालय के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के अभियोजन काडर के विद्यमान व्यक्तियों में से लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करे।”।

आ. धारा 25क. (i) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा—

(1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार एक अभियोजन महानिदेशालय की स्थापना करेगी, जिसमें अभियोजन महानिदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी, जो सरकार द्वारा विरचित किए जाने वाले नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, सम्मिलित होंगे; और

(2) अभियोजन काडर में सम्मिलित अभियोजन महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के पद सरकार द्वारा विरचित किए जाने वाले नियमों के अनुसार भरे जाएंगे।

(ii) उपधारा (3) में, “अभियोजन निदेशालय” के स्थान पर, “अभियोजन महानिदेशक” रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) अभियोजन निदेशक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक के अधीनस्थ और उसके नियंत्रण के अधीन होगा।”।

(iv) धारा 5 का प्रतिस्थापन,—

उपधारा (1) के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया या उच्च न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक की दशा में, महाधिवक्ता के अधीनस्थ होंगे।”।

(v) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(7) अभियोजन महानिदेशक और अभियोजन काडर के अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य वे होंगी, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं”।

इ. पहली अनुसूची का संशोधन—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची में, धारा 354ड से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6
354ड	सेक्सटोर्शन	कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

10. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008

(2009 का 07)

धारा 1.-- उपधारा (2) में परंतुक का लोप किया जाएगा।

11. जांच आयोग अधिनियम, 1952

(1952 का 60)

धारा 2.-- खंड (क) के उपखंड (ii) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

धारा 2क. लोप किया जाएगा।

12. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870

(1870 का 7)

धारा 26.-- धारा 26 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(2) उपधारा (1) और धारा 25 के प्रयोजन के लिए, “स्टांप” से समुचित सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुद्रा या पृष्ठांकन अभिप्रेत हैं और उसमें इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए आसंजक या द्वापित स्टाम्प सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण :-- “द्वापित स्टाम्प” में फ्रैंकिंग मशीन या अन्य मशीन द्वारा द्वाप अथवा ई-स्टाम्पिंग या समान साफ्टवेयर द्वारा जनित विशिष्ट संख्यांक, जैसा कि समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्मिलित हैं।”।

13. दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948

(1948 का 16)

धारा 2क. लोप किया जाएगा।

धारा 33.- उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

14. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984**(1984 का 66)**

- धारा 1.- उपधारा (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” का लोप किया जाएगा।
- धारा 19.- उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।

15. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006**(2006 का 38)**

- धारा 33. लोप किया जाएगा।

16. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954**(1954 का 28)**

- धारा 23ग. लोप किया जाएगा।

17. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973**(1973 का 59)**

- धारा 2.- उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

18. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956**(1956 का 104)**

- धारा 2क. लोप किया जाएगा।

19. आय-कर अधिनियम, 1961**(1961 का 43)**

- धारा 269ध. लोप किया जाएगा।

20. भारतीय वन अधिनियम, 1927**(1927 का 16)**

- धारा 2.-
- (i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् ;
- “(1) “प्राधिकृत अधिकारी” से धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (1अ) “पशु” के अंतर्गत हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, खस्सी, पशु, टट्टू बछेड़े, बछेड़िया, खच्चर, गधे, सुअर, मेढे, मेढिया, भेड़ें, मेमने, बकरियां और बकरियों के मेमने हैं ;
- (1आ) “वन आधारित उद्योग” से ऐसा उद्योग या इकाई अभिप्रेत है, जिसमें कोई वन उत्पाद, कच्ची सामग्री या ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है ;”।

- (ii) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:

“(4) “वन-उपज” के अंतर्गत –

(क) लकड़ी, लकड़ी का कोयला, रबड़, कत्था, , लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, कुथ, डायोस्कोरिया, जलावन लकड़ी, ह्युमस, रासोंट, मोरेल्स (मोरचेललेप्स) ऐकोनीटम एसपीपी, पोडोफाइलम एसपीपी, पिकरोरहिसास्प, ट्रिलियम एसपीपी, नारडोसटेचियप्स, टेक्सस एसपीपी, वालेरियानास्प, हियम एसपीपी, वन्य जीव , खाल, हाथी दांत, सींग, हड्डियां और सभी अन्य भाग या जंगली जानवरों के उत्पाद , भले ही वे वन में पाए गए हों या वन से लाए गए हों या नहीं, और

(ख) निम्नलिखित वस्तुएं उस सूरत में आती हैं जिसमें कि वे वन में पाई जाती हैं या वन से लाई जाती हैं, अर्थात्:-

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल और फल, वृक्षों की जड़ और सभी अन्य भाग या खंड (क) में विनिर्दिष्ट वृक्ष के उत्पाद ,

(ii) (घास, बांस, बेल, नरकुल और काई सहित) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और ऐसे पौधों के सभी भाग और उपज

(iii) सिल्क, कोकून, शहद और मोम, और

(iv) पीट, सतही मिट्टी, चट्टान और (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खानों तथा खदानों की सभी पैदावार सहित) खनिज”।

(iii) खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5क) आरा मिल” से ऐसा कोई प्लांट और मशीनरी अभिप्रेत है जिसमें परिसर (जिसके अंतर्गत उसकी प्रसीमा भी हैं) जिसमें या जिसके किसी भाग में वैद्युत या यांत्रिकी शक्ति की सहायता से चीरने का काम किया जाता है,।

(iv) खंड (6), के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“खंड (6क) “परिवाहक” जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, कोई निजी अभिकरण, कोई सरकारी विभाग, निगम या वन उपज के परिवहन में लगा हुआ कोई अन्य अभिकरण, चाहे या तो वह स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति, अभिप्रेत है”

(v) खंड (7), के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“खंड (8) “वन्य जीव” का वही अर्थ होगा जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उसे समनुदेशित किया गया है”।

धारा 20क- धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी:

“20क- सीमांकित वन आरक्षित वन समझे जाएंगे,- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई वन जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर अधिनियम, 1987 (1930 एडी) के अधीन सीमांकित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधीन अधिसूचित नियत दिन के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन आरक्षित वन समझा जाएगा ”

(2) सीमांकित वनों के रूप में ऐसे वन के गठन के संबंध में सभी विनिश्चित प्रश्नों , जारी आदेशों और तैयार सभी रिकार्डों को इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित, जारी और तैयार समझा जाएगा और आरक्षित वनों से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध ऐसे वनों को लागू होंगे जिनको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं।

धारा 26.- उपधारा (1) में :-

(i) खंड (ड.) में “घसीटने” शब्द के स्थान पर “घसीटने या हटाने” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (च) में “वही” शब्द के स्थान पर “वही या कोई वन उपज” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) किसी आरक्षित वन में खेती के लिए किसी भूमि को साफ करता है या तोड़ता है, कोई बाड़, बाड़ा खड़ा करता है या किसी अवसंरचना या उसके समीप खेती करता है या खेती करने का प्रयास करता है, किसी अन्य रीति में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करता है या साफ करता है।”

(iv) दीर्घ पंक्ति में खंड (ज) में “छह मास तक का हो सकेगा या जुमनि से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुमनि से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28 .-

- (i) उपधारा (1) में “वन” शब्द के स्थान पर “वन या घोषित कोई संरक्षित वन या कोई ऐसी भूमि है जिसकी व्यवस्थापन रिकार्ड में खालसा भूमि के रूप में प्रविष्टि की गई है” शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उपधारा (3) में “आरक्षित वनों” के पश्चात् “या संरक्षित वन, यथास्थिति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 29 (क)- धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी ;

- “29 क. असीमांकित वन संरक्षित वन समझे जाएं.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई असीमांकित वन (जिससे यह अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत सभी वन भूमि, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार की संपत्ति है से भिन्न असीमांकित वन हैं, और जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए मद्दे नहीं हैं और जिसके अंतर्गत सभी असीमांकित और बैरन लाईन वन जो जम्मू-कश्मीर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 48 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में वन विभाग में निहित है) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधीन अधिसूचित नियत दिन के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन संरक्षित वन समझा जाएगा।”
- (2) सीमांकित वनों के रूप में ऐसे वन के गठन के संबंध में सभी विनिश्चित प्रश्नों, जारी आदेशों और तैयार सभी रिकार्डों को इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित, जारी और तैयार समझा जाएगा और आरक्षित वनों से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध ऐसे वनों को लागू होंगे जिनको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं।”

धारा 33.- उपधारा (1) में:-

- (i) खंड (ग) में “या साफ करेगा” शब्दों के पश्चात् “या तोड़ने का प्रयास या साफ करेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) खंड (च) में “खींचेगा” शब्द के पश्चात् “या हटाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) दीर्घ पंक्ति में “छह मास तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 42.- उपधारा (1) में “छह मास” और “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” और “पच्चीस हजार रुपए” क्रमशः शब्द रखे जाएंगे।

धारा 51.- उपधारा (2) में “छह मास तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा”।

धारा 52.- धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“52 अधिहरणीय संपत्ति का अभिग्रहण और उसकी प्रक्रिया.-

- (1) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वन उपज, आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन के बारे में कोई वन अपराध किया गया है, ऐसी वन उपज, सभी औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी अन्य वस्तुओं जिनका प्रयोग ऐसा अपराध कारित करने में हुआ है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत की जा सकेगी।
- (2) इस धारा के अधीन किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी संपत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है और यथाशक्य ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी के समक्ष जो डिविजनल वन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) को भेजेगा:
परंतु जबकि वह वन उपज जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की संपत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरीष्ठ को दे देता है, तो वह पर्याप्त होगा।
- (3) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, जहां प्राधिकृत अधिकारी का ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई वन अपराध उसके संबंध में कारित किया गया है, वह लिखित में आदेश द्वारा और ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी वन उपज, सभी औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी अन्य वस्तुओं

जिनका प्रयोग ऐसा अपराध कारित करने में हुआ है, अभिग्रहण कर सकेगा और अभिग्रहण के आदेश की एक प्रति बिना किसी असम्यक देरी के ऐसे व्यक्ति को जिसकी संपत्ति अभिग्रहित की गई है और ऐसे वन सर्कल के संरक्षक को जिसमें वन उपज, सभी औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी अन्य वस्तुओं जिनका प्रयोग ऐसा अपराध कारित करने में हुआ है, अभिग्रहीत की गई है, को अग्रेषित की जाएगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई अभिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकृत अधिकारी,-

(क) संपत्ति के अभिग्रहण की कार्यवाहियों के प्रारंभ करने के बारे में लिखित में सूचना ऐसे मजिस्ट्रेट को नहीं भेज देता है जिसे ऐसे अपराध के विचारण की अधिकारिता है जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है,

(ख) ऐसे व्यक्ति को जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है या किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राधिकृत अधिकारी की राय में ऐसी संपत्ति में कोई हित रखता है, को लिखित में नोटिस जारी नहीं करता है।

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसे युक्तियुक्त समय में जो प्रस्तावित अभिग्रहण के नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभ्यावेदन देने का अवसर नहीं देगा, और

(घ) खंड (ख) के अधीन जारी नोटिस जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों और अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को, ऐसे प्रयोजन के लिए नियत तारीख को सुनवाई का अवसर नहीं देता है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किंहीं औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी कोई अन्य वस्तु (लकड़ी या अभिग्रहित वन उपज से भिन्न) के अभिग्रहण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि उपधारा (4) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधान पर यह साबित कर देता है कि ऐसे किंहीं औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी कोई अन्य वस्तु का प्रयोग बिना उसके ज्ञान या मौन सहमति, या यथास्थिति, उसके सेवक या अभिकर्ता के ज्ञान या मौन सहमति के बिना हुआ है और सभी युक्तियुक्त और आवश्यक सावधानियां उपरोक्त वन अपराध को रोकने के लिए की गई थीं।

(6) जहां किसी वन अपराध को कारित करने में पशु सम्मिलित हों, किसी अधिकारी द्वारा अभिग्रहण करने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि ऐसे अपराध के स्थान से पांच किलोमीटर के अर्द्धव्यास के भीतर कोई पशु तालाब नहीं है तब वह उसके प्रस्तुत करने के वचनबद्ध की प्राप्ति के अधीन किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा:

परंतु धारा 57 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी गैर दावाकृत पशु के मामले में कोई वन अधिकारी, जो रेंज अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, पशु के स्वामी को दावा करने के लिए आगे आने हेतु अपराध के स्थान के आस पास पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात् ऐसी तारीख के सात दिन के भीतर जब ऐसा प्रचार किया गया है, उनका निपटान कर सकेगा।

(7) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के उपबंध पशु के रख-रखाव और फीस के संबंध में उद्धरण किए जाने वाले प्रभार लागू होंगे।”

धारा 52क से धारा 52घ का अंतःस्थापन,- धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“52 क- अभिग्रहण के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण,-

(1) धारा 52 के अधीन अभिग्रहण के आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्षकार आदेश के तीस दिन के भीतर या यदि अभिग्रहण के तथ्यों को उसे संसूचित नहीं किया है तो ऐसे आदेश के ज्ञान के तीस दिन के भीतर, एक याचिका पुनरीक्षण हेतु उस सत्र न्यायालय प्रभाग को जहां प्राधिकृत अधिकारी का मुख्यालय स्थित है, प्रस्तुत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण I- इस धारा के अधीन तीस दिन की अवधि संगणित करने में प्राधिकृत अधिकारी की आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय निकाल दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण II- इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 52 के अधीन अभिग्रहण के आदेश का ज्ञान ऐसे आदेश के राज्य में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन पर किसी पक्षकार को हुआ समझा जाएगा।

(2) सत्र न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी अभिग्रहण के अंतिम आदेश की पुष्टि, उलट या उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित आदेश की प्रतियां प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालना या ऐसे और आदेश पारित करने या ऐसे और आदेश देने या ऐसी और कार्रवाई करने के लिए जो ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देश की जाए, के लिए भेजी जाएंगी।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने और सुनवाई करने तथा विनिश्चय करने के लिए सत्र न्यायालय यथाशक्य वही शक्तियां और वही प्रक्रिया का पालन कर सकेगा जो यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, सुनवाई करने और विनिश्चय करने के लिए करता है।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते भी, इस धारा के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय के समक्ष उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

52ख. कतिपय परिस्थितियों के अधीन न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन करना -

(1) अपराध, जिसके आधार पर संपत्ति का अभिग्रहण, जोकि संपत्ति के अधिहरण की विषयवस्तु है, विचारण अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का अधिहरण के लिए कार्यवाहियों की सूचना के बारे में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर किया गया है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण धारा 52 और धारा 52क में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय और प्राधिकृत अधिकारी से (भिन्न) को किसी संपत्ति, जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन अधिहरण के लिए कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं, के कब्जे, परिदान, निपटारे या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, वन अपराधों का विचारण करने के लिए दो या दो से अधिक न्यायालयों को अधिकारिता हो, वहां किसी एक न्यायालय धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर ऐसे अन्य सभी न्यायालयों की अधिकारिता के प्रयोग का वर्जन करेगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात अधिनियम की धारा 61 के अधीन शक्ति को कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

52ग. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति- (1) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई यान, किसी वन उपज के परिवहन के लिए प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है जिसके संबंध में यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वन अपराध कारित किया गया है या कारित किया जा रहा है तो चालक या ऐसे भारसाधक व्यक्ति को यान रोकना अपेक्षित है और यह उतने समय तक जितना युक्तियुक्त रूप से यान में रखी वस्तुओं की परीक्षा करने के लिए और ऐसे माल, जो ऐसे चालक या यान के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में माल से संबंधित रिकार्ड की जांच करने के लिए आवश्यक हो, यान को खड़ा कर सकेगा।

(2) कोई वन अधिकारी जो रेंज अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे यह युक्तियुक्त आधार पर विश्वास है कि वन उपज, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी स्थान पर है, तो वह ऐसी वन उपज की तलाशी के लिए और इसके अधिहरण के उद्देश्य के लिए ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकेगा:

परंतु ऐसी तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा संचालित नहीं की जाएगी।

52घ. अभिग्रहण के बलात् विरोध के लिए शास्ति,- जो कोई किसी वन उपज, किंहीं औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी कोई अन्य वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी है, का विरोध करता है या अभिग्रहण के पश्चात् उसे बलात् प्राप्त करता है, दो वर्ष तक की सजा से या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।”

धारा 53. धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“**धारा 53 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति निर्मुक्त करने की शक्ति-** कोई वन अधिकारी जो रेंज अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने किंहीं औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों पशुओं सहित या ऐसी कोई अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत वन उपज भी है, का धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया है, उसके स्वामी द्वारा किसी बैंक प्रत्याभूति के रूप में किसी प्रतिभूति जो ऐसी संपत्ति की रकम से अन्यून नहीं होगी, जो ऐसे अधिकारी द्वारा प्राक्कलित की जाए, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट जिसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता हो या जो धारा 52 की उपधारा (2)

के अधीन सशक्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो तब ऐसी निर्मुक्त संपत्ति को प्रस्तुत करने के अधीन निष्पादन करने पर निर्मुक्त की जा सकेगी, जिसके लिए ऐसा अभिग्रहण किया गया है:

परंतु जब कोई वन उपज किसी दूरस्थ अवस्थिति पर अभिग्रहित की जाती है जहां से इसे शीघ्र परिवहन किया जाना यथासाध्य न हो, तो ऐसा अधिकारी जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन ऐसा अभिग्रहण किया है, उसके किसी बंधपत्र के निष्पादन पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उसे (सुपुर्दनामा) सुपुर्द कर सकेगा, ऐसी सुपुर्द संपत्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष जब अपेक्षित हो प्रस्तुत कर सकेगा।”

धारा 54. धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: -

“54. मजिस्ट्रेट द्वारा अभिग्रहण की रिपोर्ट की प्राप्ति और तदुपरि प्रक्रिया:- धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट सभी कन्विनियन्ट डिस्पैच अपराधी की गिरफ्तारी और विचारण के लिए जो आवश्यक हो, और विधि के अनुसार संपत्ति के निपटान के लिए ऐसे सभी उपाय करेगा:

परंतु संपत्ति के निपटान के लिए कोई आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट का यह समाधान होने पर भी धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन उसे कोई सूचना उसके न्यायालय द्वारा या अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण संपत्ति का अभिग्रहण किया गया है।”

धारा 55- उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“(1) सभी लकड़ी या वन उपज जो या तो सरकार की संपत्ति नहीं है और जिसके संबंध में कोई वन अपराध कारित किया गया है और सभी औजार, शस्त्र, नाव, छकड़े, उपस्कर, रस्सियां, चैन, मशीन, यान, पशु या कोई अन्य वस्तु, प्रत्येक मामले में किसी वन अपराध को कारित करने में प्रयोग किया है, धारा 55, धारा 52क और धारा 52ख के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के लिए अपराधी के दोषसिद्ध होने पर अभिग्रहण के लिए दायी होंगे।”

धारा 56- “जब विचारण समाप्त हो जाता है” शब्दों, के स्थान पर “धारा 52 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब विचारण समाप्त हो जाता है” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 57,- धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“57. जब अपराधी अज्ञात है या पाया न जा सके, तब प्रक्रिया- जब अपराधी अज्ञात है या पाया नहीं जा सकता, तब यदि मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष है कि कोई अपराध किया गया है किंतु धारा 52ख के अधीन, वह यह आदेश दे सकेगा कि जिस संपत्ति के संबंध में अपराध हुआ है वह अधिहृत की जाए या अपराध कारित करने में प्रयुक्त सभी औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ों, उपस्कर, रस्सियों, चैनों, मशीनों, यानों, पशु या किसी अन्य वस्तु का प्रयोग हुआ है, के साथ अधिहृत की जाए और वह वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन में ली जाए या उस व्यक्ति को दे दी जाए जिसे मजिस्ट्रेट उसका हकदार समझता है:

परंतु जब तक कि ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण की तारीख से एक मास का अवसान न हो गया हो या उस पर किसी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति की, यदि कोई हो, और ऐसे साक्ष्य की, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के समर्थन में पेश करे, सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।”

धारा 58,- धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“58. धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत विनश्वर संपत्ति विषयक प्रक्रिया,-

धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट, धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र प्रकृत्या क्षयशील संपत्ति के विक्रय के लिए, इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निदेश दे सकेगा और आगमों से इस प्रकार बरत सकेगा जिस प्रकार वह ऐसी संपत्ति से तब बरतता जबकि वह बेची न गई होती।”

धारा 60- उपधारा (2) को पुनर्संख्यांकित करें और ऐसी पुनर्संख्यांकित उपधारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित करें, अर्थात्:-

“(1) धारा 52 के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपत्ति अधिग्रहण किए जाने के आदेश, धारा 52क के अधीन सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन, पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के समापन पर सब विलंगमों से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाएगी:

परंतु यदि धारा 52क के अधीन कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाता है तो ऐसा निहित होना धारा 52क के अधीन पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर होगा ”

धारा 63,- “या जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर “या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक को हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 64क का अंतःस्थापन - धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“64क. गैर-जमानती अपराध”- इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, धारा 68 के अधीन उन अपराधों से भिन्न जो शमनीय हैं, गैर-जमानती होंगे ।”

धारा 65क और धारा 65ख का अंतःस्थापन,- धारा 65 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“65क. पुलिस सहायता के लिए अध्यपेक्षा , - कोई वन अधिकारी धारा 52, धारा 63 और धारा 64 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे पुलिस अधिकारी का ऐसी अध्यपेक्षा की अनुपालना करना कर्तव्य होगा ।

65ख. पुलिस अधिकारियों का प्राधिकृत अधिकारी से तकनीकी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए बाध्य होना – कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन मजिस्ट्रेट को शिकायत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से तकनीकी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा । ”

धारा 67,- “छह मास से अनधिक कारावास या पांच सौ से अनधिक जुर्माने से ” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष से अनधिक कारावास या पच्चीस हजार से अनधिक जुर्माने से ” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 68- धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“68. अपराधों का शमन करने की शक्ति—(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सहायक वन संरक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न अन्तर्वलित कोई वन विषयक अपराध जिसकी क्षतिपूर्ति पचास हजार रुपए से अनधिक है, उस अपराध के लिए जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत कर ले :

परंतु यह कि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत कोई धनराशि ऐसे अपराध द्वारा कारित हानि में रकम किसी मामले में दोहरे से कम नहीं होगी, और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिग्रहणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा इस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त यथा प्राकृतिक उसके मूल्य के दे दिए जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दे ।

(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति, ऐसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि, और ऐसे मूल्य या दोनों के दे दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और वही सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

धारा 69.- “प्रतिकूल न साबित कर दिया जाए” शब्दों के स्थान पर “अभियुक्त द्वारा प्रतिकूल न साबित कर दिया जाए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 69.क- धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“69क अपराधों के लिए दोहरी शास्तियां- ऐसी शास्तियां जिन्हें इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के अधीन उनमें दोहरी उल्लेखित किया गया है ऐसे मामले में प्रभावित होगी जहां अपराध सुर्यास्त के पश्चात और सुर्योदय से पूर्व कारित किया है, अथवा विधिपूर्ण प्राधिकारी के लिए प्रतिरोध हेतु तैयारी के पश्चात किया गया है अथवा जहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिए पूर्व में ही दोषसिद्ध किया गया है।”

धारा 71.- “दस रुपए”, “दो रुपए”, “एक रुपए” और “आठ आना” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “एक हजार रुपए”, “दो हजार पाँच सौ रुपए”, “एक सौ रुपए” और “पचास रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 72.- धारा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्

“72.जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियां निहित कर सकेगी—(1) वन अधिकारियों में निम्नलिखित सब शक्तियां निहित कर सकेगी, कहने का तात्पर्य यह है कि:—

- (क) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा तैयार करने की शक्ति,
- (ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियां,
- (ग) वन विषयक अपराधों की जांच और ऐसी जांच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति, और
- (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन तलाशी वारंट निकालने की शक्ति।

परन्तु यह कि खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन शक्तियां, रेंज अधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी वन अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि खंड (घ) के अधिन शक्तियां किसी प्रभागीय वन अधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी वन अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी।

- (2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चात्कर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, यदि यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य लिया गया हो।
- (3) रेंज अधिकारी से अन्यून पंक्ति का कोई वन अधिकारी वन अधिकारी की पंक्ति के किसी अधिकारी के अन्वेषण की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है यदि अपराध इस अधिनियम की धारा 68 के अधीन शमनीय है।”

धारा 74.- धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“ 74. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन नियमों या आदेशों के अधीन लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या उसके लोप होने पर उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

(2). किसी न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय कार्य करते समय या अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले किसी वन अधिकारी द्वारा कारित किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध संज्ञान नहीं किया जाएगा।”

धारा 76.क- धारा 76 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

76क- वन उत्पाद पर आधारित वस्तुओं के विनिर्माण और तैयारी को विनियमित करने की शक्ति—(1) जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार निम्नानुसार नियम बना सकेगी,

(क) आरा मिलों, काष्ठ डीपो, ईंधन डीपो और अन्य इकाइयों की अनुज्ञप्ति परमिट या अन्यथा (और उसकी फीस के संदाय) के द्वारा स्थापन और विनियम का उपबंध करना है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं के वन उत्पादन या विनिर्माण या तैयारी के उपभोग में लगे कारखाने या उद्योग भी सम्मिलित हैं,

- (i) कत्था (कैटेचु) या खेरवूड से भिन्न कुच;
- (ii) रोजिन, तारपीन, रेजिन से भिन्न अन्य उत्पाद और लकड़ी का तेल;
- (iii) प्लाईवूड, वेनीर और लकड़ी आधारित उत्पाद;

(iv) दियासलाई की डिबिया और माचिस की पट्टी;

(v) डिबिया जिसके अंतर्गत लकड़ी से भिन्न बना पैकिंग केस;

(vi) बढईगिरी, और लकड़ी से भिन्न फर्नीचर की बस्तुएं;

(vii) तारकोल, चूनापत्थर और जिप्सम;

(viii) वन उत्पाद पर आधारित ऐसी अन्य वस्तुएं जिसे जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(ख). खंड (क) में उल्लिखित वस्तुओं की तैयारी के लिए कच्ची सामग्रियों के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति परमिट या अन्यथा द्वारा विनिमय हेतु उपबंध करने के लिए, उसकी फीस का संदाय करने और जमा करने और उसकी शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए, ऐसी शर्तों के अतिलंघन हेतु इस प्रकार जमा की गई फीस अथवा उसके किसी भाग के समपहरण होने और ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे समपहरण के न्यागमन पर है जिसे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार इस धारा के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अतिलंघन के रूप में ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष का हो सकेगा या जुर्माने के रूप में जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, उपबंध करेगी।"

धारा 77.- "जो एक मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा", शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा", शब्द रखे जाएंगे।

धारा 79.- उपधारा (2) में, दीर्घ पंक्ति में "ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा", शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा", शब्द रखे जाएंगे।

धारा 79.क से धारा 79.ग का अंतस्थापन- धारा 79 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"79क आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित भूमि का अनाधिकृत कब्जे के लिए शास्ति- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने धारा 20 या धारा 29 के अधिन आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित किसी भूमि के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कब्जा ले रखा है या लेता है, यथास्थिति, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभागीय वन अधिकारी की पंक्ति से अन्यून किसी वन्य अधिकारी को आदेश द्वारा सरसरी तौर पर बाहर कर दिया जाएगा तथा ऐसी कोई खड़ी फसल जो ऐसी भूमि या भवन या ऐसा कोई अन्य स्थान जहाँ उसने सन्निर्माण किया है, यदि ऐसे वन अधिकारी के रूप में ऐसे समय के भीतर नहीं हटाया जाता है समपहरण के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन बाहर किए गए किसी आदेश को तब तक नहीं पारित किया जाएगा जबतक बाहर किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है कि ऐसे किसी आदेश को क्यों नहीं पारित किया जाना चाहिए।

(2) इस प्रकार समपहृत किसी सम्पत्ति का उस रीति में निपटान किया जाएगा जिसपर वन अधिकारी द्वारा निदेश दिया जा सके और किसी फसल, भवन या अन्य कार्यस्थल को हटाए जाने की लागत तथा उसकी मूलदशा की भूमि के भण्डारण के लिए आवश्यक सभी कार्य को धारा 82 में उपबंधित रीति में ऐसे व्यक्ति से वसूल योग्य होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन वन्य अधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति को सम्बद्ध स्वयमेव मुख्य वन्य संरक्षक अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से लिखित में याचिका द्वारा किसी अपील को पूर्विकता पर ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर दे सकेगा और ऐसी याचिका उसके विरुद्ध किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति के द्वारा जोड़ दी जाएगी

(4) अपील की प्राप्ति पर तथा पक्षकारों को बुलाए जाने के पश्चात और कार्यवाहियों के अभिलेख का अनुसरण करते हुए मुख्य वन्य संरक्षक अपील की सुनवाई के लिए तारीख और सुविधाजनक स्थान नियत करेगा और पक्षकारों को उसकी सूचना देगा तथा तदनुसार अपील की सुनवाई करेगा।

(5) मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपील पर पारित कोई आदेश अंतिम होगा।

79ख. आग के मामले में उपायुक्त द्वारा संक्षिप्त कार्रवाई- यदि धारा 79 की उप धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन किसी मामले में यह प्रतीत होता है कि उस जिले का उपायुक्त जिसमें या तो उसके द्वारा अथवा किसी उद्देश्य के प्रयोजन के लिए उसको अभिहित किए गए तहसीलदार के माध्यम से किसी संक्षिप्त और प्राशासनिक रीति में की गई स्थानीय जांच के पश्चात संबद्ध वन अवस्थिति है, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति या गाँव अथवा अन्य समुदाय द्वारा ऐसी

जानकारी देने या ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु अपेक्षा की जाती है क्योंकि उनके द्वारा यह अपेक्षा की जाती है, ऐसे व्यक्ति, गाँव या अन्य समुदाय या ऐसे गाँव या अन्य समुदाय के ऐसे व्यक्ति सदस्य द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति हेतु सीधे संदाय के साथ-साथ उसपर एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा जिसे प्रभागीय वन अधिकारी के साथ परामर्श में सुनिश्चित किया जाए। इस धारा के अधीन अधिरोपित सभी जुर्माने भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल योग्य होंगे।

79ग. उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील- धारा 79ख के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध कोई अपील संबद्ध प्रभागीय आयुक्त के लिए की जा सकेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

धारा 82 – धारा 82 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी., अर्थात:-

"82. सरकार को शोध्य धन की वसूली- इस अधिनियम के अधीन अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सरकार के देय सभी धन अथवा काष्ठ के मूल्य के मामले में या किसी अन्य वन उत्पाद, या काष्ठ और अन्य वन उत्पाद के मामले में इस अधिनियम के निष्पादन में उपगत व्यय के मामले में, अथवा काष्ठ और अन्य वन उत्पाद के संबंधित किसी संविदा के अधीन जिसके अंतर्गत उसके भंग हेतु उसके अधीन वसूल योग्य कोई रकम भी है, अथवा उसके रदकरण के परिणामस्वरूप अथवा काष्ठ के विक्रय से संबंधित सूचना के निबंधनानुसार अथवा नीलामी द्वारा अन्य वन उत्पाद या किसी वन अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन या जारी की गई निविदाओं के आमंत्रण द्वारा और इस अधिनियम के अधीन सरकार को दी जाने वाली सभी प्रतिकर दिया जाएगा, यदि जब शोध्य हो संदाय नहीं करने पर तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वसूल होगा क्योंकि यदि वे भू-राजस्व के बकाया के रूप में थे।"

धारा 82क से धारा 82ज का अन्तःस्थापन- धारा 82 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"82क. किसी बंधपत्र के अधीन शोध्य शास्तियों की वसूली- जब किसी वन पट्टा के मामले में कोई व्यक्ति स्वयं किसी कर्तव्य या कार्रवाई को करने के लिए किसी बंधपत्र या लिखत द्वारा अथवा किसी बंधपत्र या लिखत के जरिये बाध्य किया जाता है तो वह अथवा उसका नौकर और अभिकर्ता किसी कार्रवाई से प्रविरत होगा, उनकी शर्तों के भंग के मामले में संदाय की जाने वाली रकम के रूप में ऐसे बंधपत्र या लिखत में उल्लिखित संपूर्ण रकम को भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे भंग के मामले में उसके द्वारा वसूल की जाएगी जैसे यदि वे भू-राजस्व के बकाया के रूप में थी।

82ख. किसी लाभ अथवा फायदा या प्रतिकर के संदाय का प्रत्यावर्तन- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए अथवा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में,-

(क) जहां किसी वन उत्पाद के विक्रय से संबंधित किसी संव्यवहार या पट्टा अथवा किसी वन से काष्ठ को निकाला जाता है अथवा उसकी खोज की जाती है तो वह केवल इस आधार पर शून्य होगी कि ऐसा संव्यवहार या पट्टा भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के उपबंधों के साथ सुनिश्चित नहीं है या उसके अधीन जारी किसी आदेश अथवा निदेश कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे संव्यवहार अथवा पट्टे के आधार पर कोई फायदा प्राप्त किया है अथवा कोई लाभ लिया है वह इसको प्राप्त करने से जिससे उस व्यक्ति या पक्षकार के लिए इसके पुनःभंडार करने अथवा इसका प्रतिकर देने के लिए दायी होगा,

(ख) खंड (क) में निर्देशित उसके बदले में देय का विस्तार इस अधिनियम के उपबंधों के क्रम में अवधारित किया जाएगा और इस प्रकार अवधारित किए गए किसी फायदा या लाभ या प्रतिकर की रकम के मूल्य को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल योग्य होगी।

82ग. प्राधिकरण का गठन- धारा 82ख के अधीन किसी फायदा या लाभ या उसके मूल्य या प्रतिकर की रकम के विस्तार का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जैसे और जब आवश्यक हो ऐसी अहर्ता और अनुभव रखने वाले और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाए, एक से अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले प्राधिकरण का गठन करेगी और जहां प्राधिकरण एक से अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है उनमें से एक उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

82घ. प्राधिकरण की शक्तियां- (1) प्राधिकरण को, यथास्थिति धारा 82ख के अधीन किसी फायदा या लाभ या उसके मूल्य या प्रतिकर की रकम के विस्तार का अवधारण करने हेतु जांच करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात:-

(क) किसी व्यक्ति या साक्षी की उपस्थिति के लिए समन जारी करने और प्रवृत्त करने और शपथ या सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करने के लिए ;

- (ख) जांच के विषय मामलों से संबंधित किसी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने ;
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने ;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से जांच के विषय मामले से संबंधित किसी पब्लिक दस्तावेज अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करने ; और
- (ङ) जांच के विषय मामले से संबंधित साक्षियों, दस्तावेजों या अन्य लेखा पुस्तकों के लिए कमीशन जारी करना है।

(2). प्राधिकरण को ऐसे व्यक्तियों के लिए कमीशन भी जारी करने की शक्ति होगी जिसे वह स्थानीय अन्वेषण के लिए उचित समझे जो किसी ऐसे मामले के विशदीकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो सकेगी या उचित होगी जो किसी संपत्ति के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए या जांच के अध्यक्षीन है।

(3). इस धारा के अधीन किसी प्रयोजन हेतु कमीशन के निष्पादन के लिए निदेश किए गए किसी व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए आयुक्त की सभी शक्तियाँ होंगी।

(4). प्राधिकरण को ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति होगी जो यह किसी वन उत्पादन या काष्ठ (राज्य में जहाँ कहीं वह होगी) जो इसकी पूर्व कार्यवाहियों के विषय मामले के अधीन होगी जिसके अंतर्गत किन्हीं पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए रिसीवर की नियुक्ति भी है के अभिग्रहण, कुर्की, प्रबंधन, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय के लिए उचित समझे।

82इ अन्यसंक्रामण पर निर्बंधन—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) जहाँ जांच के किसी अस्तर पर प्राधिकरण का शपथ पत्र या अन्यथा समाधान हो जाता है कि धारा 82ख में निर्देशित किसी संव्यवहार या पट्टे के अधीन किसी फायदे या लाभ या उसके लिए प्रतिकर के संदाय पर पुनः भंडार के लिए कोई व्यक्ति दायी होता है ऐसे फायदे या लाभ या उसके मूल्य या प्रतिकर की रकम की वसूली के विफल होने अथवा संदाय से बचने के आशय के साथ उसकी चल अथवा अचल संपत्ति अन्यसंक्रामित हो जाती है जिसे उसके द्वारा अवधारित किया जा सके सीधे लिखित में आदेश दिया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति या उसके ऐसे भाग के लिए अन्यसंक्रामित नहीं होगी, जिसे जांच के लंबित होने के दौरान आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन जारी किसी आदेश या निदेश के अतिलंघन में किसी संपत्ति के कोई अन्य संक्रामण शून्य होगा और ऐसी संपत्ति का कोई अंतरणकर्ता उसमें अर्जित किसी अधिकार हक या हित समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अन्यसंक्रामण" में बंधक, विक्रय दान वसीयत, बेनामी संव्यवहार, कुटुम्ब निपटान या संपत्ति में किसी अधिकार हक या हित के अंतरण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित है।

(2) संदेहों को दूर करने के लिए एतत् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर इस धारा अधीन अधिरोपित निर्बंधन को युक्तियुक्त निर्बंधन समझा जाएगा।

82च. प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:- (1) प्राधिकरण को इस आधार पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा किए गए किसी नियम के अधीन नैसर्गिक सिद्धान्तों के साथ अपने कृत्यों के निर्वहन से जुड़े सभी मामलों को बाहर करने में अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) पक्षकारों को परामर्श द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

82छ. अपील (1) प्राधिकरण के अंतिम आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति धारा 82ख के अधीन किसी फायदे या लाभ या उसके मूल्य या प्रतिकर की रकम को अवधारित करते हुए आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध एक अपील फाइल करेगा और प्रत्येक ऐसे अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के प्रभागीय न्यायपीठ द्वारा की जाएगी।

(2) प्राधिकरण का अन्य आदेश अपील योग्य नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण का आदेश उप धारा (1) के अधीन विनिश्चय के अध्यक्षीन तथा उच्च न्यायालय की अपील अंतिम होगी और जम्मू-कश्मीर भूराजस्व अधिनियम, 1996 की धारा 90 के अर्थातानर्गत प्रमाणपत्र समझा जाएगा।

(4) उच्च न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध कोई और अपील नहीं स्वीकार्य होगी।

82झ सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन- किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसमें प्राधिकरण ने धारा 82ख के अधीन संज्ञान लिया है किसी वाद या अन्य कार्यवाही को देखने की अधिकारिता नहीं होगी।"

धारा 83क का अन्तःस्थापन- धारा 83 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"83क अन्यसंक्रामण पर निर्बंधन- (1) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रॉयलिटी, हित, प्रतिकर, शास्ति के संदाय या किसी पट्टा विलेख बंधपत्र या लिखत के अधीन वन पट्टकर्ता से प्रभारीय कोई किसी अन्य रकम को प्रतिभूति के रूप में किसी वन पट्टकर्ता द्वारा कोई संपत्ति का आमंत्रण वन पट्टकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आमंत्रित कोई संपत्ति वन ऐसे समय तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार बिना पूर्व अनुज्ञा के अन्यसंक्रामण नहीं की जाएगी, क्योंकि वन मुख्य संरक्षक यह प्रमाणित करता है कि ऐसे वन पट्टकर्ता ने ऐसी पट्टा विलेख या बंधपत्र के अधीन उसको मिलने वाले सभी आक्षेपों को सम्यक रूप से पालन किया हो; "

(2) उपधारा (1) के अतिलंघन में किए गए संपत्ति के कोई अन्य अन्यसंक्रामण शून्य होगा और ऐसी संपत्ति का अंतरणकर्ता अर्जित किसी अधिकार हक या उसमें हित के लिए नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी पट्टा विलेख बंधपत्र या लिखत के अधीन वन पट्टकर्ता से सम्यक रूप से आने वाली किसी अन्य राशि या स्वामिस्व, हित, प्रतिकर या शास्ति की रकम वन रकम को वन पट्टकर्ता द्वारा स्वयं की किसी चल या अचल संपत्ति और प्रतिभूति के रूप में उसकी ओर से अथवा उसके द्वारा आमंत्रित संपत्ति से तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार भू राजस्व रूप में वसूल योग्य होगी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) "अन्यसंक्रामण" में विक्रय, दान, विनिमय, वसीयत, बंधक बेनामी संव्यवहार, कुटुम्ब निपटान या उसमें किसी अधिकार हक या हित के अंतरण की कोई अन्य पद्धति या उस पर विलगमादार का सृजन सम्मिलित है।

(ख) "वन पट्टकर्ता पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में संपरिवर्तन का अधिकार है और किसी वन उत्पाद को हटाने का अधिकार है जिसे किसी पट्टा विलेख, बंधपत्र या लिखत के अधीन अनुदत्त किया गया है।

(4) संदेहों को हटाने के लिए एतत् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर इस धारा अधीन अधिरोपित निर्बंधन को युक्तियुक्त निर्बंधन समझा जाएगा।"

धारा 84क का अंतःस्थापन- धारा 84 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् ;

"84क भूमि के लिए अधिनियम का लागू होना" सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध किसी भूमि पर लागू होंगे जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार या केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है और उस पर ऐसे उपबंध तदनुसार ऐसी भूमि के लिए लागू होंगे। "

21. भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970

(1970 का 48)

धारा 2 – उपधारा (2) का लोप करें।

22. भारतीय दंड संहिता, 1860

(1860 का 45)

"354ड. लैंगिक उद्घापन – (1) जो कोई,-

(क) प्राधिकारी की स्थिति में रहते हुए; या

(ख) वैश्वासिक संबंध रखते हुए; या

(ग) कोई लोक सेवक होते हुए;

ऐसे फायदों या अन्य अनुग्रहों, जिन्हें ऐसा व्यक्ति अनुदत्त करने या रोकने के लिए सशक्त है, के बदले किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह का उद्घापन या मांग करने के लिए दबाव के भौतिक या अभौतिक रूपों का प्रयोग करते हुए ऐसे प्राधिकार या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा या अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करेगा, लैंगिक उद्घापन के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के उद्देश्य के लिए "लैंगिक अनुग्रह" से अभिप्रेत होगा और इसके अंतर्गत, लैंगिक संकेत करने वाला आचरण, लैंगिक सुव्यक्त कृत्य जैसे छूना, संसूचना के इलैक्ट्रानिक ढंग से प्रदर्शन समेत मैथुन के लिए निजी शारीरिक अंगों का प्रदर्शन, सम्मिलित होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उद्घापन का अपराध करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

23. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

(2016 की 31)

धारा 1 – उपधारा (2) में, परंतुक का लोप करें।

24. परिसीमा अधिनियम, 1963

(1963 का 36)

धारा 30क का अंतःस्थापन – धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“30क – उन वादों आदि के लिए कालावधि जिनके लिए विहित कालावधि परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित कालावधि के कम है- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात हे होते हुए भी-

- (क) कोई भी वाद, जिसके लिए परिसीमा काल परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित परिसीमा काल से कम है, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रारम्भ होने के अव्यवहित पश्चातवर्ती एक वर्ष की कालावधि और ऐसे वाद के लिए परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित परिसीमा काल, इन दोनों में से जिसकी भी अवसान पहले हो जाए उसके भीतर संस्थित किया जा सकेगा :

परंतु यदि ऐसे किसी वाद की बाबत एक वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान, उसके लिए परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 के अधीन विहित परिसीमा काल के पहले हो जाए और ऐसे वाद की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन उतने परिसीमा काल के सहित, जिसका अवसान जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रारम्भ के पहले हो गया हो, एक वर्ष की उक्त कालावधि ऐसे वाद के लिए इस अधिनियम के अधीन विहित कालावधि से कम हो तो वह वाद परिसीमा अधिनियम 1963 के अधीन उसके लिए विहित परिसीमा काल के भीतर संस्थित किया जा सकेगा

(ख) कोई भी अपील या आवेदन, जिसके लिए परिसीमा काल परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित परिसीमा काल से कम है, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रारम्भ होने के अव्यवहित पश्चातवर्ती नब्बे दिन की कालावधि और ऐसी अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित परिसीमा काल में से, जिसका का भी अवसान पहले हो जाए, उसके भीतर किया जा सकेगा।

25. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962

(1962 का 26)

धारा 2क लोप करें।

26. राजभाषा अधिनियम, 1963

(1963 का 19)

धारा 9 लोप करें।

27. प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

(1867 का 25)

धारा 1 में, उपधारा (2) का लोप करें।

28. प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978

(1978 का 37)

धारा 3 – “जम्मू-कश्मीर या” का लोप करें।

29. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

धारा 17ख का अंतःस्थापन – धारा 17क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“17ख. जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की स्थापना - (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के नाम से एक ब्यूरो की स्थापना करेगी।

(2) ब्यूरो, निदेशक और उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद से मिलकर बनेगा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार समय-समय पर नियुक्त करना ठीक समझे।

(3) (निदेशक से भिन्न) अधिकारियों की अर्हता ऐसी होगी, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु (निदेशक से भिन्न) अधिकारियों की अर्हता जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा किए जाने तक, सरकार द्वारा इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006 (अब निरसित) के अधीन अधिसूचित नियम ऐसे अधिकारियों की अर्हता को शासित करते रहेंगे।

(4) निदेशक और उसके अधीनस्थ अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर पद धारण करेंगे, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

स्पष्टीकरण - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006 (अब निरसित) के अधीन स्थापित भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो समझा जाएगा, मानो उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किया गया हो और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किसी विधि, आदेश, अधिसूचना या नियमों के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के प्रति निर्देश है।

धारा 17-ग- से धारा 17-छ का अंतःस्थापन-- धारा 17-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“17-ग-संपत्ति की कुर्की की शक्तियां-- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कारित अपराध का अन्वेषण करने वाला (पुलिस उप अधीक्षक की रैंक के अन्यून) किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, जिसके संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है, ऐसे कृत्य करके या उनका लोप करके अर्जित की गई है जो धारा 5 के अधीन यथा परिभाषित ‘आपराधिक कदाचार’ का अपराध गठित करते हैं, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के निदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन से, ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करते हुए आदेश करेगा, और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है, यह निदेश देते हुए कि ऐसी संपत्ति, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित प्राधिकारी, जिसके समक्ष अभिग्रहित की गई या कुर्क की गई संपत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं, की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, अंतरित या अन्यथा व्यवहार नहीं की जाएगी, एक आदेश करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी :

परंतु अन्वेषण अधिकारी अधिनियम के अधीन किसी मामले के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात्, अन्वेषण के किसी प्रक्रम पर, जहां वह यह विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसी संपत्ति मामले के अन्वेषण को विफल करने के लिए अंतरित या अन्यथा व्यवहार किए जाने की संभावना है, यह निदेश दे सकेगा कि, अभिहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट, नब्बे दिन से अनधिक, ऐसी अवधि के लिए ऐसी संपत्ति अंतरित या अन्यथा व्यवहार नहीं की जाएगी।

[स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कुर्की” के अंतर्गत ऐसी संपत्ति की अस्थायी अभिरक्षा, कब्जा और/या नियंत्रण भी होगा।]

(2) अन्वेषण अधिकारी, अड़तालीस घंटों के भीतर, ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की होने की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के बारे में अभिहित अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) अभिहित अधिकारी, जिसके समक्ष अभिग्रहित या कुर्क संपत्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, के पास (तीस दिन) के भीतर इस प्रकार जारी किए गए अभिग्रहण या कुर्की के आदेश को पृष्ठ करने या वापस लेने का विकल्प होगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व अन्वेषण अधिकारी तथा उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जा रही है, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि मामले का निपटारा होने तक, अभिहित प्राधिकारी ऐसी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

(4) अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में, इसे अभिहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जब अन्वेषण अधिकारी अपनी रिपोर्ट को अधिसूचित करता है और इसे अभिहित प्राधिकारी द्वारा निपटारे के लिए रखता है।

(5) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अंतरण अनुदत्त करने या अन्यथा व्यवहार करने के लिए अभिहित प्राधिकारी, आवेदन कर सकेगा।

(6) अभिहित प्राधिकारी, को आवेदन को या तो अनुज्ञा अनुदत्त कर सकेगा या अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अभिहित प्राधिकारी को इसके समक्ष पूर्ण और ऋजु पूछताछ करने के लिए अपेक्षित सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(17)-घ. अभिहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

(1) धारा 17ग की उपधारा (3) या उपधारा(5) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर विशेष न्यायाधीश और विशेष न्यायालय को अपील कर सकेगा, और वह इस प्रकार किए गए संपत्ति की कुर्की या अभिग्रहण के आदेश को या तो संपुष्ट कर सकेगा या ऐसे आदेश को वापस ले सकेगा तथा संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा या साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित और ठीक समझे।

(2) जहां धारा 17-ग के अधीन कोई संपत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जाती है और विशेष न्यायालय का ऐसे अभिग्रहण या कुर्की के बारे में समाधान हो गया है, तो वह ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण का आदेश कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति, जिसके कब्जे से इसे अभिग्रहीत या कुर्क किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विशेष न्यायालय में अभियोजित किया जाता है या नहीं।

(3) अभिग्रहीत या कुर्क संपत्ति के संबंध में आदेश करने के लिए विशेष न्यायालय सक्षम होगा कि-

(क) इसे विक्रय करने का निदेश दे, यदि यह विनश्वर संपत्ति है, तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 459 के उपबंध, जहां तक व्यवहार्य हों, ऐसे विक्रय के कुल आगमों को लागू होंगे,

(ख) किसी अन्य संपत्ति के मामले में, सरकार के किसी अधिकारी को, विशेष न्यायालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी संपत्ति के प्रशासक का कृत्य करने के लिए नामित करे।

17-ड. संपत्ति के समपहरण के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना.--

धारा 17-ग की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश विशेष न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा,-

(क) यदि ऐसी संपत्ति के धारक या कब्जाधीन व्यक्ति को उन आधारों की सूचना देते हुए, जिन पर ऐसी संपत्ति के समपहरण का प्रस्ताव है, नोटिस दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, समपहरण के आधारों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तथा इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि ऐसी संपत्ति का धारक या कब्जाधारी व्यक्ति यह स्थापित करता है कि वह ऐसी संपत्ति का मूल्य के प्रतिफल में, यह जाने बिना कि ऐसी संपत्ति इस प्रकार अर्जित की गई है, सद्भावी अंतरिती है।

17-च अपील.--

(1) धारा 17-घ के अधीन विशेष न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा।

(2) जहां धारा 17-घ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा आदेश उपांतरित या निष्प्रभाव कर दिया जाता है या जहां इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन संस्थित किया जाता है, तो वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध विशेष न्यायालय का आदेश किया गया है, दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसी संपत्ति उसे वापस कर दी जाएगी और दोनों में से किसी भी मामले में यदि किसी व्यक्ति के लिए समपहृत संपत्ति को किसी कारण से वापस करना संभव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी कीमत संपत्ति के अभिग्रहण की तारीख से उचित व्याज संगणित करके संदत्त की जाएगी, मानो वह संपत्ति सरकार को विक्रय कर दी गई हो, और ऐसी कीमत विहित रीति में अवधारित की जाएगी।

17-छ. समपहरण के आदेश का अन्य दण्डों के साथ हस्तक्षेप न होना --

इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा किया गया समपहरण का आदेश, किसी अन्य दण्ड को अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगा, जिसका उस आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।"

30. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का 10)

धारा 21- (i) उपधारा (5) में, दूसरे परंतुक का लोप करें ;

(ii) उपधारा (7) में, "संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) उपधारा (8) में, " दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र", शब्द रखे जाएंगे।

31. लोक ऋण अधिनियम, 1944

(1944 का 18)

धारा 31. लोप करें।

32. रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966
(1966 का 29)

धारा 15. लोप करें।

33. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम,
2016 (2016 का 16)

धारा 2.- खंड (छ) में, उपखंड (ii) में “पुडुचेरी”, शब्द के स्थान पर, ‘पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र’ शब्द रखे जाएंगे।

34. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
(1950 का 43)

धारा 27-क – उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(5) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के अधीन उस राज्यक्षेत्र के लिए गठित की गई हो।”

35. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
(2013 का 30)

धारा-3- खंड (ड) में :-

(i) उप-खंड (ii) “पुडुचेरी के सिवाय” शब्दों के स्थान पर, “पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के सिवाय” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-खंड (iii) में, दोनों स्थानों पर “पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों के पश्चात्, “जम्मू -कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

36. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
(2002 का 54)

धारा 17क और धारा 18ख. लोप करें।

37. टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963
(1963 का 41)

धारा 2क लोप करें।

[फा. सं. 11014/05/2014-K.I]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 1123(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: —

1. (1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or this Order had not come into force.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Union territory of Jammu and Kashmir.

THE SCHEDULE

(See Paragraph 3)

CENTRAL LAWS**1. THE ADVOCATES ACT, 1961**

(25 of 1961)

Section 2.— In sub-section (2), omit “in the State of Jammu and Kashmir or”, “that State or”.Omit **Section 58AF**.**2. THE ALL INDIA SERVICES ACT, 1951**

(61 of 1951)

Section 3.— In sub-section (1), omit “including the State of Jammu and Kashmir”.**3. THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958**

(24 of 1958)

Omit **Section 2A**.**4. THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996**

(26 of 1996)

1. Section 1- In sub-section (1), omit the proviso and *Explanation*.**2. Insertion of section 8A and section 8B.—**After section 8, insert the following sections, namely:—**“8A. Power of the court, seized of petitions under sections 9 or 11 of the Act, to refer the dispute to Mediation or Conciliation.—**

- (1) If during the pendency of petitions under sections 9 or 11 of the Act, it appears to the court, that there exists elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court may, with the consent of parties, refer the parties, for resolution of their disputes, to,—
 - (a) mediation; or
 - (b) conciliation.
- (2) The procedure for reference of a dispute to mediation is as under—
 - (a) where a dispute has been referred for resolution by recourse to mediation, the procedure framed under that Act shall apply;
 - (b) in case of a successful resolution of the dispute, the Mediator shall immediately forward the mediated settlement to the referral court;
 - (c) on receipt of the mediated settlement, the referral court shall independently apply its judicial mind and record a satisfaction that the mediated settlement is genuine, lawful, voluntary, entered into without coercion, undue influence, fraud or misrepresentation and that there is no other legal impediment in accepting the same;
 - (d) the court shall record a statement on oath of the parties, or their authorised representatives, affirming the mediated settlement as well as a clear undertaking of the parties to abide by the terms of the settlement;

- (e) if satisfied, the court shall pass an order in terms of the settlement;
 - (f) if the main petition, in which the reference was made is pending, it shall be disposed of by the referral court in terms thereof;
 - (g) if the main petition, in which the reference was made stands disposed of, the mediated settlement and the matter shall be listed before the referral court, which shall pass orders in accordance with clauses (iii), (iv) and (v);
 - (h) such a mediated settlement, shall have the same status and effect as an arbitral award and may be enforced in the manner specified under section 36 of the Act.
- (3) With respect to reference of a dispute to conciliation, the provisions of Part II of this Act shall apply as if the conciliation proceedings were initiated by the parties under the relevant provision of this Act.

8B. Power of the court, seized of matters under sections 34 or 37 of the Act, to refer the dispute to Mediation or Conciliation.—

- (1) If during the pendency of a petition under section 34 or an appeal under section 37 of the Act, it appears to the court, that there exists elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court may, with the consent of parties, refer the parties, for resolution of their disputes, to:—
- (a) mediation; or
 - (b) conciliation.
- (2) The procedure for reference of a dispute to mediation is as under:-
- (a) where a dispute has been referred for resolution by recourse to mediation, the procedure framed under the Act shall apply;
 - (b) in case of a successful resolution of the dispute, the Mediator shall immediately forward the mediated settlement to the referral court;
 - (c) on receipt of the mediated settlement, the referral court shall independently apply its judicial mind and record a satisfaction that the mediated settlement is genuine, lawful, voluntary, entered into without coercion, undue influence, fraud or misrepresentation and that there is no other legal impediment in accepting the same;
 - (d) the court shall record a statement on oath of the parties, or their authorized representatives, affirming the mediated settlement, a clear undertaking of the parties to abide by the terms of the settlement as well as statement to the above effect;
 - (e) if satisfied, the court shall pass an order in terms of the settlement;
 - (f) if the main petition, in which the reference was made is pending, it shall be disposed of by the referral court in terms thereof;
 - (g) if the main petition, in which the reference was made stands disposed of, the mediated settlement and the matter shall be listed before the referral court, which shall pass orders in accordance with clauses (iii), (iv) and (v);
 - (h) such a mediated settlement, shall have the status of a modified arbitral award and may be enforced in the manner specified under section 36 of the Act.

- (3) With respect to reference of a dispute to conciliation, the provisions of Part III of the Act, shall apply as if the conciliation proceedings were initiated by the parties under the relevant provision of this Act.”

3. Amendment of sections 29A.—

- (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The award shall be made within a period of twelve months from the date the arbitral tribunal enters upon the reference.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, an arbitral tribunal shall be deemed to have entered upon the reference on the date on which the arbitrator or all the arbitrators, as the case may be, have received notice, in writing, of their appointment.”;

- (b) in sub-section (4), omit second and third provisos.

4. Amendment of section 34.—

- (i) after sub-section (2), insert the following sub-section, namely:-

“(2A) An arbitral award may also be set aside by the Court, if the Court finds that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award:

Provided that an award shall not be set aside merely on the ground of an erroneous application of the law or by re-appreciation of evidence.”;

- (ii) in sub-section (3),—

- (i) for “three months” substitute, “six months”;

- (ii) in proviso thereto, for, “three months and “thirty days” substitute respectively “six months” and “sixty days”.

5. THE CENSUS ACT, 1948

(37 of 1948)

Omit Section 2A.

6. THE CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(12 of 2017)

Section 2.—

- (i) in clause (114), in sub-clause (e), omit “and” and after sub-clause (e), insert the following sub-clause, namely:—

“(ea) Ladakh; and”; and

- (ii) omit clause (121).

7. THE CINEMATOGRAF ACT, 1952

(37 of 1952)

Omit Section 2A .

8. THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

(5 of 1908)

1. Section 35.— In section 35, in sub-section (1), omit “Commercial”.

2. Section 35A.— In section 35A, omit sub-section (2).

3. Amendment of First Schedule.— In the First Schedule to the Code,—

(A) In Order V, in Rule 1, in sub-rule (1), for the second proviso, substitute the following proviso, namely:—

“Provided further that where the defendant fails to file the written statement within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the written statement on such other day, as may be specified by the court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the court deems fit, but which shall not be later than one hundred twenty days from the date of service of summons and on expiry of one hundred twenty days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record.”;

(B) In Order VII, after Rule 2, insert the following Rule, namely:—

“2A. Where interest is sought in the suit.—(1) Where the plaintiff seeks interests, the plaint shall contain a statement to that effect along with the details set out under sub-rules (2) and (3).

(2) Where the plaintiff seeks interest, the plaint shall state whether the plaintiff is seeking interest in relation to a commercial transaction within the meaning of section 34 of the Code of Civil Procedure, 1908 and, furthermore, if the plaintiff is doing so under the terms of a contract or under an Act, in which case the Act is to be specified in the plaint; or on some other basis and shall state the basis of that.

(3) Pleadings shall also state—

- (a) the rate at which interest is claimed;
- (b) the date from which it is claimed;
- (c) the date to which it is calculated;
- (d) the total amount of interest claimed to the date calculation; and
- (e) the daily rate at which interest accrues after the date.”;

(C) In Order VIII,—

(i) in Rule 1, for the proviso thereto, substitute the following proviso, namely,—

“Provided that where the defendant fails to file the written statement with the said period of thirty days, he shall be allowed to file the written statement on such other day, as may be specified by the court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the court deems fit, but which shall not be later than one hundred twenty days from the date of service of summons and on expiry of one hundred twenty days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record.”;

(ii) after Rule 3, insert the following Rule, namely,—

“3A. Denial by the defendant in suits.—(1) Denial shall be in the manner provided in sub-rules (2), (3), (4) and (5) of this rule.

(2) The defendant in his written statement shall state which of the allegations in the particulars of plaint he denies, which allegations he is unable to admit or deny, but which he requires the plaintiff to prove, and which allegations he admits.

(3) Where the defendant denies an allegation of fact in a plaint, he must state his reasons for doing so and if he intends to put forward a different version of events from that given by the plaintiff, he must state his own version.

(4) If the defendant disputes the jurisdiction of the court he must state the reasons for doing so, and if he is able, give his own statement as to which court ought to have jurisdiction.

(5) If the defendant disputes the plaintiff valuation of the suit, he must state his reasons for doing so, and if he is able, give his own statement of the value of the suit.”;

(iii) in Rule 5, in sub-rule (1) after first proviso thereto, insert the following proviso, namely—

“Provided further, that every allegation of fact in the plaint, if not denied in the manner provided under Rule 3-A of this order, shall be taken to be admitted except as against a person under disability.”;

(iv) in Rule 10, insert the following proviso, namely—

“Provided that no court shall make an order to extend the time provided under Rule 1 of this order for filing of the written statement.”;

(D) For Order XI of the Code, substitute the following Order, namely.—

“ORDER XI

DISCLOSURE, DISCOVERY AND INSPECTION OF DOCUMENTS

1. Disclosure and discovery of documents.—(1) Plaintiff shall file a list of all documents and photocopies of all documents, in its power, possession, control or custody, pertaining to the suit, along with the plaint, including:—

- (a) documents referred and relied on by the plaintiff in the plaint;
- (b) documents relating to any matter in question in the proceedings, in the power, possession, control or custody of the plaintiff, as on the date of filing the plaint, irrespective of whether the same is in support of or adverse to the plaintiffs case; and
- (c) nothing in this rule shall apply to documents produced by plaintiffs and relevant only—
 - (i) for the cross-examination of the defendant’s witnesses, or
 - (ii) in answer to any case setup by the defendant subsequent to the filing of the plaint, or
 - (iii) handed over to a witness merely to refresh his memory.

(2) The list of documents filed with the plaint shall specify whether the documents in the power, possession, control or custody of the plaintiff are originals, office copies or photocopies and the list shall also set out in brief, details of parties to each document, mode or execution, issuance or receipt and line of custody of each document.

(3) The plaint shall contain a declaration on oath from the plaintiff that all documents in the power, possession, control, or custody of the plaintiff, pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by him have been disclosed and copies thereof annexed with the plaint, and that the plaintiff does not have any other documents in its power, possession, control or custody.

Explanation.— A declaration on oath under this sub-rule shall be contained in the Statement of Truth as set out in the Appendix I.

(4) In case of urgent filings, the plaintiff may seek leave to rely on additional documents, as part of the above declaration on oath and subject to grant of such leave by court, the plaintiff shall file such additional documents in court, within thirty days of filing the suit, along with a declaration on oath that the plaintiff has produced all documents in its power, possession, control or custody, pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by the plaintiff and that the plaintiff does not have any other documents, in its power, possession, control or custody.

(5) The plaintiff shall not be allowed to rely on documents, which were in the plaintiff's power, possession, control or custody and not disclosed along with plaint or within the extended period set out above, save and except by leave of court and such leave shall be granted only upon the plaintiff establishing reasonable cause for non-disclosure along with the plaint.

(6) The plaint shall set out details of documents, which the plaintiff believes to be in the power, possession, control or custody of the defendant and which the plaintiff wishes to rely upon and seek leave for production thereof by the said defendant.

(7) The defendant shall file a list of all documents and photocopies of all documents, in its power, possession, control or custody, pertaining to the suit, along with the written statement or with its counter-claim if any, including—

- (a) the documents referred to and relied on by the defendant in the written statement;
- (b) the documents relating to any matter in question in the proceeding in the power, possession, control or custody of the defendant, irrespective of whether the same is in support of or adverse to the defendant's defense;
- (c) nothing in this rule shall apply to documents produced by the defendants and relevant only—
 - (i) for the cross-examination of the plaintiff's witnesses;
 - (ii) in answer to any case setup by the plaintiff subsequent to the filing of the plaint; or
 - (iii) handed over to a witness merely to refresh his memory.

(8) The list of documents filed with the written statement or counter-claim shall specify whether the documents, in the power, possession, control or custody of the defendant, are originals, office copies or photocopies and the list shall also set out in brief, details of parties to each document being produced by the defendant, mode of execution, issuance or receipt and line of custody of each document.

(9) the written statement or counter-claim shall contain a declaration on oath made by the deponent that all documents in the power, possession, control or custody of the defendant, save and except for those set out in sub-rule (7) (c) (iii), pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by the plaintiff or in the counter-claim, have been disclosed and copies thereof annexed with the written statement or counter-claim and that the defendant does not have in its power, possession, control or custody, any other documents.

(10) Save and except for sub-rule (7) (c) (iii), defendant shall not be allowed to rely on documents, which were in the defendant's power, possession, control or custody and not disclosed along with the written statement or counter-claim, save and except by leave of court and such leave shall be granted only upon the defendant establishing reasonable cause for non-disclosure along with the written statement or counter-claim.

(11) The written statement or counter-claim shall set out details of documents in the power, possession, control or custody of the plaintiff, which the defendant wishes to rely upon and which have not been disclosed with the plaint, and call upon the plaintiff to produce the same.

(12) Duty to disclose documents, which have come to the notice of a party, shall continue till disposal of the suit.

2. Discovery by interrogatories.—(1) In any suit the plaintiff or defendant by leave of the court may deliver interrogatories in writing for the examination of the opposite parties or anyone or more of such parties, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such persons is required to answer:

Provided that no party shall deliver more than one set of interrogatories to the same party without an order for that purpose:

Provided further that interrogatories which do not relate to any matters in question in the suit shall be deemed irrelevant, notwithstanding that they might be admissible on the oral cross-examination of a witness.

(2) On an application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatories proposed to be delivered shall be submitted to the court, and that court shall decide within seven days from the day of filing of the said application, in deciding upon such application, the court shall take into account any offer, which may be made by the party sought to be interrogated to deliver particulars, or to make admissions, or to produce documents relating to the matters in question, or any of them, and leave shall be given as to such only of the interrogatories submitted as the court shall consider necessary either for disposing fairly of the suit or for saving costs.

(3) In adjusting the costs of the suit inquiry shall at the instance of any party be made into the propriety of exhibiting such interrogatories, and if it is the opinion of the taxing officer or of the court, either with or without an application for inquiry, that such interrogatories have been exhibited unreasonably, vexatiously, or at improper length, the costs occasioned by the said interrogatories and the answers thereto shall be paid in any event by the party in fault.

(4) Interrogatories shall be in the form provided in Form No. 2 in Appendix C to the Code of Civil Procedure, 1908, with such variations as circumstances may require.

(5) Where any party to a suit is a corporation or a body of persons, whether incorporated or not, empowered by law to sue or be sued, whether in its own name or in the name of any officer of other person, any opposite party may apply for any order allowing him to deliver interrogatories to any member or officer of such corporation or body, and an order may be made accordingly.

(6) Any objection to answering any interrogatory on the ground that it is scandalous or irrelevant or not exhibited bona fide for the purpose of the suit, or that the matters required into are not sufficiently material at that stage, or on the ground of privilege or any other ground may be taken in the affidavit in answer.

(7) Any interrogatories may be set aside on the ground that they have been exhibited unreasonably or vexatiously, or struck out on the ground that they are prolix, oppressive, unnecessary or scandalous and any application for this purpose may be made within seven days after service of the interrogatories.

(8) Interrogatories shall be answered by affidavit to be filed within ten days, or within such other time as the court may allow.

(9) An affidavit in answer to interrogatories shall be in the form provided in Form No. 3 in Appendix C to the Code of Civil Procedure, 1908, with such variations as circumstances may require.

(10) No exceptions shall be taken to any affidavit in answer, but the sufficiency or otherwise of any such affidavit objected to as insufficient shall be determined by the court.

(11) Where any person interrogated omits to answer, or answers insufficiently, the party interrogating may apply to the court for an order requiring him to answer, or to answer further, as the case may be, and an order may be made requiring him to answer, or to answer further, either affidavit or by viva voce examination, as the court may direct.

3. Inspection.—(1) All parties shall complete inspection of all documents disclosed within thirty days of the date of filing of the written statement or written statement to the counter-claim, whichever is later, the court may extend this time limit upon application at its discretion, but not beyond thirty days in any event.

(2) Any party to the proceedings may seek directions from the court, at any stage of the proceedings, for inspection or production of documents by the other party, of which inspection has been refused by such party or documents have not been produced despite issuance of a notice to produce.

(3) Order in such application shall be disposed of within thirty days of filing such application, including filing replies and rejoinders (if permitted by court) and hearing.

(4) If the above application is allowed, inspection and copies thereof shall be furnished to the party seeking it, within five days of such order.

(5) No party shall be permitted to rely on a document, which it had failed to disclose or of which inspection has not been given, save and except with leave of court.

(6) The Court may impose exemplary costs against a defaulting party, who willfully or negligently failed to disclose all documents pertaining to a suit or essential for a decision therein and which are in their power, possession, control or custody or where a court holds that inspection or copies of any documents had been wrongfully or unreasonably withheld or refused.

4. Admission and denial of documents.—(1) Each party shall submit a statement of admissions or denials of all documents disclosed and of which inspection has been completed, within fifteen days of the completion of inspection or any later date as fixed by the court.

(2) The statement of admissions and denials shall set out explicitly, whether such party was admitting or denying:

- (a) correctness of contents of a document;
- (b) existence of a document;
- (c) execution of a document;
- (d) issuance or receipt of a document;
- (e) custody of a document.

Explanation.—A statement of admission or denial of the existence of a document made in accordance with clause (b) of sub-rule (2) shall include the admission or denial of the contents of a document.

(3) Each party shall set out reasons for denying a document under any of the above grounds and bare and unsupported denials shall not be deemed to be denials of a document and proof of such documents may then be dispensed with at the direction of the court.

(4) Any party may however submit bare denials for third party documents of which the party denying does not have any personal knowledge of, and to which the party denying is not a party to in any manner whatsoever.

(5) An affidavit in support of the statement of admissions and denials shall be filed confirming the correctness of the contents of the statement.

(6) In the event that the court holds that any party has unduly refused to admit a document under any of the above criteria, costs (including exemplary costs) for deciding on admissibility of a document may be imposed by the court on such party.

(7) The court may pass orders with respect to admitted documents including for waiver of further proof thereon or rejection of any documents.

5. Production of documents.—(1) Any party to a proceeding may seek or the court may order, at any time during the pendency of any suit, production by any party or person, of such documents in the possession or power of such party or person, relating to any matter in question in such suit.

(2) Notice to produce such document shall be issued in the form provided in Form No. 7 in Appendix C to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(3) Any party or person to whom such notice to produce is issued shall be given not less than seven days and not more than fifteen days to produce such document or to answer to their inability to produce such document.

(4) The court may draw an adverse inference against a party refusing to produce such document after issuance of a notice to produce and where sufficient reasons for such non-production are not given and order costs.

6. Electronic Records.—(1) In case of disclosures and inspection of electronic records as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), furnishing of printouts shall be sufficient compliance of the above provisions.

(2) At the discretion of the parties or where required (when parties wish to rely on audio or video content), copies of electronic records may be furnished in electronic form either in addition to or in lieu of printouts.

(3) Where electronic records form part of documents disclosed, the declaration on oath to be filed by a party shall specify –

- (a) the parties to such electronic record;
- (b) the manner in which such electronic record was produced and by whom;
- (c) the dates and time of preparation or storage or issuance or receipt of each such electronic record;
- (d) the source of such electronic record and date and time when the electronic record was printed;
- (e) in case of e-mail ids, details of ownership, custody and access to such e-mail ids;
- (f) in case of documents stored on a computer or computer resource (including on external servers or cloud), details of ownership, custody and access to such data on the computer or computer resource;
- (g) deponent's knowledge of contents and correctness of contents;
- (h) whether the computer or computer resource used for preparing or receiving or storing such document or data was functioning properly or in case of malfunction that such malfunction did not affect the contents of the document stored;
- (i) that the printout or copy furnished was taken from the original computer or computer resource.

(4) The parties relying on printouts or copy in electronic form, of any electronic records, shall not be required to give inspection of electronic records, provided a declaration is made by such party that each such copy, which has been produced, has been made from the original Electronic Records.

(5) The court may give directions for admissibility of electronic records at any stage of the proceedings.

(6) Any party may seek directions from the court and the court may of its motion issue directions for submission of further proof of any electronic record including metadata or logs before admission of such electronic record.”

(E). Insertion of Order XV-A.— After Order XV of the Code, insert the following Order, namely,–

“ORDER XV-A

1. First Case Management Hearing.—The court shall hold the first Case Management Hearing, not later than four week's from the date of filing of affidavit of admission or denial of documents by all parties to the suit.

2. Orders to be passed in a Case Management Hearing.—In a Case Management Hearing, after hearing the parties, and once it finds that there are issues of fact and law which require to be tried, the court may pass an order—

- (a) framing the issues between the parties in accordance with Order XIV of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) after examining pleadings, documents and documents produced before it, and on examination conducted by the court under Rule 2 of Order X, if required;
- (b) listing witnesses to be examined by the parties;
- (c) fixing the date by which affidavit of evidence to be filed by parties;
- (d) fixing the date on which evidence of the witnesses of the parties to be recorded;
- (e) fixing the date by which written arguments are to be filed before the court by the parties;
- (f) fixing the date on which oral arguments are to be heard by the court; and
- (g) setting time limits for parties and their advocates to address oral arguments.

3. Time limit for the completion of a trial.—In fixing dates or setting time limits for the purposes of Rule 2 of this order, the court shall ensure that the arguments are closed not later than six months from the date of the first Case Management Hearing.

4. Recording of oral evidence on a day-to-day basis.—The court shall, as far as possible, ensure that the record of evidence shall be carried on, on a day-to-day basis until the cross examination of all the witnesses is complete.

5. Case Management hearings during trial.—The court may, if necessary, also hold Case Management Hearings anytime during the trial to issue appropriate orders so as to ensure adherence by the parties to the dates fixed under Rule 2 and facilitate speedy disposal of the suit.

6. Powers of the court in a Case Management Hearing.—(1) In any Case Management Hearing held under this order, the court shall have the power to –

- (a) prior to the framing of issues, hear and decide any pending application filed by the parties under Order XIII-A;
- (b) direct parties to file compilations of documents or pleadings relevant and necessary for framing issues;
- (c) extend or shorten the time for compliance with any practice, direction or court order if it finds sufficient reason to do so;
- (d) adjourn or bring forward a hearing if it finds sufficient reason to do so;
- (e) direct a party to attend the court for the purposes of examination under Rule 2 of Order X;
- (f) consolidate proceedings;
- (g) strike off the name of any witness or evidence that it deems irrelevant to the issues framed;
- (h) direct a separate trial of any issue;
- (i) decide the order in which issues are to be tried;
- (j) exclude an issue from consideration;
- (k) dismiss or give judgment on a claim after a decision on a preliminary issue;
- (l) direct that evidence be recorded by a Commission where necessary in accordance with Order XXVI;
- (m) reject any affidavit of evidence filed by the parties for containing irrelevant, inadmissible or argumentative material;
- (n) strike off any parts of the affidavit of evidence filed by the parties containing irrelevant, inadmissible or argumentative material;

- (o) delegate the recording of evidence to such authority appointed by the court for this purpose;
- (p) pass any order relating to the monitoring of recording the evidence by a commission or any other authority;
- (q) order any party to file land exchange a costs budget;
- (r) issue directions or pass any order for the purpose of managing the case and furthering the overriding objective of ensuring the efficient disposal of the suit.

(2) When the court passes an order in exercise of its powers under this order, it may—

- (a) make it subject to conditions, including a condition to pay a sum of money into court; and
- (b) specify the consequence of failure to comply with the order or a condition.

(3) While fixing the date for a Case Management Hearing, the court may direct that the parties also be present for such Case Management Hearing, if it is of the view that there is a possibility of settlement between the parties.

7. Adjournment of Case Management Hearing.—(1) The Court shall not adjourn the Case Management Hearing for the sole reason that the advocate appearing on behalf of a party is not present:

Provided that an adjournment of the hearing is sought in advance by moving an application, the court may adjourn the hearing to another date upon the payment of such costs as the court deems fit, by the party moving such application.

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, if the court is satisfied that there is a justified reason for the absence of the advocate, it may adjourn the hearing to another date upon such terms and conditions it deems fit.

8. Consequences of non-compliance with orders.—Where any party fails to comply with the order of the court passed in a Case Management Hearing, the court shall have the power to—

- (a) condone such non-compliance by payment of costs to the court;
- (b) foreclose the non-compliant party's right to file affidavits, conduct cross-examination of witnesses, file written submissions, address oral arguments or make further arguments in the trial, as the case may be; or
- (c) dismiss the plaint or allow the suit where such non-compliance is willful, repeated and the imposition of costs is not adequate to ensure compliance”.

(F). Amendment of Order XVIII.—In Order XVIII of the Code,—

(I) in Rule 2, after sub-rule (3), insert the following sub-rules, namely:—

- "(3A) A party shall, within four weeks prior to commencing the oral arguments, submit concisely and under distinct headings written arguments in support of his case to the court and such written arguments shall form part of the record.
- (3B) The written arguments shall clearly indicate the provisions of the laws being cited in support of the arguments and the citations of judgments being relied upon by the party and include copies of such judgments being relied upon by the party.
- (3C) A copy of such written arguments shall be furnished simultaneously to the opposite party.
- (3D) The court may, if it deems fit, after the conclusion of arguments, permit the parties to file revised written arguments within a period of not more than one week after the date of conclusion of arguments.

- (3E) No adjournment shall be granted for the purpose of filing the written arguments unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers it necessary to grant such adjournment.
- (3F) It shall be open for the court to limit the time for oral submissions having regard to the nature and complexity of the matter".

(II) In Rule 4, after sub-rule (1), insert the following sub-rules, namely:—

- “(1A) The affidavits of evidence of all witnesses whose evidence is proposed to be led by a party shall be filed simultaneously by that party at the time directed in the first Case Management Hearing.
- (1B) A party shall not lead additional evidence by the affidavit of any witness (including of a witness who has already filed an affidavit) unless sufficient cause is made out in an application for that purpose and an order, giving reasons, permitting such additional affidavit is passed by the court.
- (1C) A party shall however have the right to withdraw any of the affidavits so filed at any time prior to commencement of cross-examination of that witness, without any adverse inference being drawn based on such withdrawal:

Provided that any other party shall be entitled to tender as evidence and rely upon any admission made in such withdrawn affidavit".

(G). Amendment to Order XIX.—In Order XIX of the Code, after Rule 3, insert the following new rules, namely —

"4. Court may control evidence.—(1) The court may, by directions regulate the evidence as to issues on which it requires evidence and the manner in which such evidence may be placed before the court.

(2) The court may, in its discretion and for reasons to be recorded in writing, exclude evidence that would otherwise be produced by the parties.

5. Redacting or rejecting evidence.—A court may, in its discretion, for reasons to be recorded in writing—

- (i) redact or order the redaction of such portions of the affidavit of examination-in-chief as do not, in its view, constitute evidence; or
- (ii) return or reject an affidavit of examination-in-chief as not constituting admissible evidence.

6. Format and guidelines of affidavit of evidence.—An affidavit must comply with the form and requirements set forth below:—

- (a) such affidavit should be confined to, and should follow the chronological sequence of, the dates and events that are relevant for proving any fact or any other matter dealt with;
- (b) where the court is of the view that an affidavit is a mere reproduction of the pleadings, or contains the legal grounds of any party's case, the court may, by order, strike out the affidavit or such parts of the affidavit, as it deems fit and proper;
- (c) each paragraph of an affidavit should, as far as possible, be confined to a distinct portion of the subject;
- (d) an affidavit shall state—
 - (i) which of the statements in it are made from the deponent's own knowledge and which are matters of information or belief; and
 - (ii) the source for any matters of information or belief.
- (e) an affidavit should—
 - (i) have the pages numbered consecutively as a separate document (or as one of several documents contained in a file);

- (ii) be divided into numbered paragraphs;
- (iii) have all numbers, including dates, expressed in figures; and
- (iv) if any of the documents referred to in the body of the affidavit are annexed to the affidavit or any other pleadings, give the annexures and page numbers of such documents that are relied upon".

4. Insertion of Appendix I.— After Appendix H, insert the following Appendix, namely:-

"APPENDIX-I

STATEMENT OF TRUTH

[Under First Schedule, Order XI-Rule 1, sub-rule (3)]

I _____ the deponent do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I am the party in the above suit and competent to swear this affidavit.
2. I am sufficiently conversant with the facts of the case and have also examined all relevant documents and records in relation thereto.
3. I say that the statements made in _____ paragraphs are true to my knowledge and statements made in _____ paragraphs are based on information received which I believe to be correct and statements made in _____ paragraphs are based on legal advice.
4. I say that there is no false statement or concealment of any material fact, document or record and I have included information that is according to me, relevant for the present suit.
5. I say that all documents in my power, possession, control or custody, pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by me have been disclosed and copies thereof annexed with the plaint, and that I do not have any other documents in my power, possession, control or custody.
6. I say that the above mentioned pleading comprises of a total of _____ pages, each of which has been duly signed by me.
7. I state that the Annexures hereto are true copies of the documents referred to and relied upon by me.
8. I say that I am aware that for any false statement or concealment, I shall be liable for action taken against me under the law for the time being in force.

Place:

Date:

DEPONENT

VERIFICATION

I, _____ do hereby declare that the statements made above are true to my knowledge.

Verified at _____ on this _____.

DEPONENT"

9. THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973**(2 of 1974)****A. Section 24.—** After sub-section (6), insert the following sub-section, namely:-

“(6A).— Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and sub-section (6), the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir may appoint a person who has been in practice as an Advocate for not less than seven years as Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor for High Court and for the District Courts and it shall not be necessary to appoint Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor for the High Court in consultation with High Court and Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor for the District Court from amongst the person constituting the cadre of Prosecution for the State of Jammu and Kashmir.”

B. Section 25A.—(i) for sub-sections (1) and (2), substitute—

- (1) The Government of the Union territory of Jammu and Kashmir shall establish a Directorate of Prosecution consisting of a Director General of Prosecution and such other officers, as may be provided in rules to be framed by the said Government; and
- (2) The Post of Director General of Prosecution and all other officers, constituting the prosecution cadre, shall be filled in accordance with the rules to be framed by the said Government.

(ii) in sub-section (3), substitute “Director of Prosecution” with “Director General of Prosecution”;

(iii) for sub-section (4), substitute—

“(4) subject to the control of the Director General of Prosecution, the Deputy Director shall be subordinate to and under the Control of a Joint Director”.

(iv) substitute sub-section (5),—

“Every Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor and Special Public Prosecutor appointed by the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir under sub-section (1), or the case may be under sub-section (8) of section 24 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the Advocate General.”;

(v) for sub-section (7), substitute—

“(7) The powers and functions of the Director General of Prosecution and other officers of the prosecution cadre shall be such as may be provided by the rules”.

C. Amendment of The First Schedule.— In the First Schedule of the Code of Criminal Procedure, 1973 after the entries relating to section 354E, insert the following entries, namely,—

1	2	3	4	5	6
354E	Sextortion	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to five years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Magistrate of the First Class

10. THE COLLECTION OF STATISTICS ACT, 2008**(07 of 2009)**

Section 1.— In sub-section (2), the proviso thereto shall be omitted.

11. THE COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952**(60 of 1952)**

Section 2.— in clause (a), in sub-clause(ii), omit the Proviso.

Omit Section 2A.

12. THE COURT-FEES ACT, 1870**(7 of 1870)**

Section 26.— Section 26 shall be numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) so renumbered, insert the following sub-section, namely:—

“(2) For the purposes of sub-section (1), and section 25, “stamp” means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorised by the Appropriate Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of court fee chargeable under this Act.

Explanation:—“impressed stamp” includes impression by a franking machine or another machine, or a unique number generated by e-stamping or similar software, as the Appropriate Government may, by notification in the official Gazette, specify”.

13. THE DENTISTS ACT, 1948**(16 of 1948)**

Omit Section 2A.

Section 33.— In sub-section (1), in third proviso thereto, omit clause (c).

14. THE FAMILY COURTS ACT, 1984**(66 of 1984)**

Section 1.— In sub-section (2), omit “except the State of Jammu and Kashmir”

Section 19.- Omit sub-section (6)

15. THE GOVERNMENT SECURITIES ACT, 2006**(38 of 2006)**

Omit Section 33.

16. THE HIGH COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICES) ACT, 1954**(28 of 1954)**

Omit Section 23C.

17. THE HOMEOPATHY CENTRAL COUNCIL ACT, 1973**(59 of 1973)**

Section 2. -Omit sub-section (2)

18. THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956

(104 of 1956)

Omit Section 2A.

19. THE INCOME-TAX ACT, 1961

(43 of 1961)

Omit Section 269S.

20. THE INDIAN FOREST ACT, 1927

(16 of 1927)

Section 2.—

(i) for clause (1), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(1) **“authorised officer”** means an officer authorized under sub-section (2) of section 52;(1A) **“cattle”** include elephants, camels, buffaloes, horses, mares, geldings, ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs, ram, ewes, sheep, lambs, goats and kids;(1B) **“forest based industry”** means an industry or unit in which any forest produce is used as raw material or as a source of energy”;

(ii) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—

“(4) **“forest-produce”** includes—(a) timber, charcoal, caoutchouc, catechu, wood-oil, resin, natural varnish, bark, lac, kuth, myrobalans, dioscorea, firewood, humus, rasaunt, morels (*Morchella* spp), *Aconitum* spp, *Podophyllum* spp, *Picrorhizaspp*, *Trillium* spp, *Nardostachys* spp, *Taxus* spp, *Valerianasspp*, *Rheum* spp, wild animals, skins, tusks, horns, bones and all other parts or produce of wild animals whether found in, or brought from, a forest or not; and

(b) the following when found in, or brought from, a forest, namely:—

(i) trees and leaves, flowers and fruits, roots and all other parts or produce of trees not specified in clause (a);

(ii) plants not being trees (including grass, bamboos, creepers, reeds and moss and lichen), and all parts or produce of such plants;

(iii) silk, cocoons, honey and wax; and

(iv) peat, surface soil, rock, and minerals (including limestone, laterite, mineral oils, and all products of mines or quarries);”.

(iii) after clause (5), insert the following clause, namely:-

“(5A) “saw mill” means any plant and machinery with which and the premises (including the precincts thereof) in which or in any part of which sawing is carried on with the aid of electrical or mechanical power;”.

(iv) after clause (6), insert the following clause, namely:-

“(6A) “transporter” includes a person, a private agency, a Government Department, Corporation or any other agency engaged in transport of forest produce whether on his own or on behalf of any other person”;

(v) after clause (7), insert the following clause;

“(8) “wild animal” shall have the same meaning as assigned to it in the Wild Life (Protection) Act, 1972.”.

Section 20A.— After section 20, insert the following section—

“20A. Demarcated forests deemed to be reserved forests.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any forest which has been notified as a demarcated forest under the erstwhile Jammu and Kashmir Forest Act, 1987 (1930 A.D.), prior to the appointed day notified under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, shall be deemed to be a reserved forest under this Act.

(2) All questions decided, orders issued and records prepared in connection with the constitution of such forest as demarcated forests shall be deemed to have been decided, issued and prepared under this Act, and the provisions of this Act relating to reserved forests shall apply to forest to which the provision of sub-section (1) are applicable”.

Section 26. – In sub-section (1)–

(i) in clause (e), substitute the word “dragging” with the words “dragging or removing”;

(ii) in clause (f), substitute the words “the same” with the words “the same or any forest produce”;

(iii) for clause (h), substitute the following clause, namely:—

“(h) clears or breaks up any land or erects a fence, enclosure or any structure for cultivation or cultivates or attempts to cultivate any land in any other manner in any reserved forest, or for any other purpose”;

(iv) in the long line, for the words “six months, or with fine which may extend to five hundred rupees,”, substitute the words “two years, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees,”;

Section 28.—

(i) in sub-section (1), for the word “reserved forest”, substitute the words “reserved forest or declared a protected forest or is a land which has been entered in settlement records as khalsa land”;

(ii) in sub-section (3) after the words “reserved forests”, insert the words “or protected forests, as the case may be”.

Section 29A.— After section 29, insert the following section—

“29A. Undemarcated forests deemed to be protected forests.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any undemarcated forest (which means and includes all forest land other than demarcated forest which is the property of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir and is not appropriated for any specific purpose and includes all the undemarcated and berun line forest vested in the Forest Department under the provisions of section 48 of the Jammu and Kashmir Village Panchayat Act, 1958 or any other law for the time being in force), prior to the appointed day notified under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, shall be deemed to be a protected forest under this Act.

(2) All questions decided, orders issued and records prepared in connection with the constitution of such forest as undemarcated forests shall be deemed to have been decided, issued and prepared under this Act, and the provisions of this Act relating to protected forests shall apply to forest to which the provision of sub-section (1) are applicable”.

Section 33.— In sub section (1).—

- (i) in clause (c), after the words “or clears”, insert the words “or attempts to break-up or clear”;
- (ii) in clause (f), after the word “drags” , insert the words “or removes”;
- (iii) in the long line for the words “six months, or with fine which may extend to five hundred rupees”, substitute the words “two years, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees”.

Section 42.— In sub-section (1), for the words “six months” and “five hundred rupees”, substitute the words “two years” and “twenty-five thousand rupees” respectively.

Section 51.— In sub-section (2), for the words “six months, or with fine which may extend to five hundred rupees”, substitute the words “two years, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees”.

Section 52.— Substitute section 52 with the following section, namely:—

“52. **Seizure of property liable to confiscation and procedure thereof.**— (1) When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any reserved forest, protected forest, village forest or forest produce, the forest produce, together with all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing any such offence, may be seized by a Forest Officer or Police Officer.

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, make a report of such seizure before an officer not below the rank of the Divisional Forest Officer (hereinafter referred to as the 'authorised officer'):

Provided that when the forest produce with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of the Government and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

(3) Subject to sub-section (5), where the authorised officer upon receipt of report about seizure, is satisfied that a forest offence has been committed in respect thereof, he may, by order in writing and for reasons to be recorded, confiscate forest produce so seized together with all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing such offence and a copy of the order of confiscation shall be forwarded without any undue delay to the person from whom the property is seized and to the Conservator of Forest Circle in which the forest produce, tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article as the case may be, has been seized.

(4) No order confiscating any property shall be made under sub-section (3) unless the authorised officer,—

- (a) sends an intimation in writing about initiation of proceedings for confiscation of the property to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made;
- (b) issues a notice in writing to the person from whom the property is seized and to any other person who may, in the opinion of the authorised officer to have some interest in such property;
- (c) affords an opportunity to the persons referred to in clause (b) of making a representation within such reasonable time as may be specified in the notice against the proposed confiscation; and
- (d) gives to the officer effecting the seizure and the person or persons to whom notice has been issued under clause (b), a hearing on date to be fixed for such purpose.

(5) No order of confiscation under sub-section (3) of any tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article (other than timber or forest produce seized) shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (4) proves to the satisfaction of authorised officer that any such tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article were used without his knowledge or connivance or, as the case may be, without the knowledge or

connivance of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against the use of objects aforesaid for commission of forest offence.

(6) Where the cattle are involved in the commission of a forest offence, the same after seizure by any officer, shall be entrusted to any responsible person under a proper receipt on an undertaking to produce the same when required in case there is no cattle pound within a radius of five kilometres from the place of such offence:

Provided that notwithstanding anything contained in section 57, in case of unclaimed cattle a Forest Officer not below the rank of Range Officer, after giving sufficient publicity in the vicinity of the place of offence for the owner to come forward to claim the cattle within seven days from the date when such publicity has been given, may dispose them of by public auction.

(7) The provisions of the Cattle Trespass Act, 1871 (1 of 1871), shall apply in respect of the charges to be levied for the upkeep and fee of the cattle.”.

Insertion of section 52A to 52D.— After section 52, insert the following sections, namely:—

“52A. Revision before Court of Sessions against order of confiscation.— (1) Any party aggrieved by an order of confiscation under section 52 may within thirty days of the order or if facts of the confiscation have not been communicated to him, within thirty days of knowledge of such order submit a petition for revision to the Court of Sessions Division whereof the headquarters of Authorised Officer are situated.

Explanation I.—In computing the period of thirty days under this sub-section, the time required for obtaining certified copy of the order of Authorised Officer shall be excluded.

Explanation II.—For the purposes of this sub-section a party shall be deemed to have knowledge of the order of confiscation under section 52 on publication of such order in two daily newspapers having circulation in the State.

(2) The Court of Sessions may confirm, reverse or modify any final order of confiscation passed by the Authorised Officer.

(3) Copies of the order passed in revision shall be sent to the Authorised Officer for compliance or passing such further order or for taking such further orders or for taking such further action as may be directed by such Court.

(4) For entertaining, hearing and deciding a revision under this section, the Court of Sessions shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it exercises and follows while entertaining, hearing and deciding a revision under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the order of Court of Sessions passed under this section shall be final and shall not be called in question before any Court.

52B. Bar to jurisdiction of Courts etc. under certain circumstances.— (1) On receipt of report under sub-section (4) of Section 52 about intimation of proceedings for confiscation of property by the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property which is subject matter of confiscation, has been made, no Court, Tribunal or Authority other than Authorised Officer and Court of Sessions referred to in sections 52 and 52A shall have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal or distribution of the property in regard to which proceedings for confiscation are initiated under section 52, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, or any other law for the time being in force.

Explanation.— Where under any law for the time being in force, two or more Courts have jurisdiction to try the forest offences, then receipt of intimation under sub-section (4) of section 52 by one of the Courts shall operate as bar to exercise jurisdiction on all such other Courts.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the power saved under section 61 of the Act.

52C. Power of search and seizure.- (1) Any Forest Officer or Police Officer may, if he has reason to believe that a vehicle has been or is being used for the transport of forest produce in respect of which there is reason to believe that a forest offence has been or is being committed, require the driver or other person in charge of such vehicle to stop the vehicle and cause it to remain stationary as long as may reasonably be necessary to examine the contents in the vehicle and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person in charge of the vehicle.

(2) Any forest officer not below the rank of Range officer, having reasonable grounds to believe that forest produce is, in contravention of the provisions of this Act, in the possession of a person in any place, may enter such place with the object of carrying out a search for the forest produce and its confiscation:

Provided that such search shall not be conducted otherwise than in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.

52D. Penalty for forcibly opposing seizure.- Whosoever opposes the seizure of any forest-produce, tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article liable to be seized under this Act, or forcibly receives the same after seizure, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.”.

Section 53.—

For section 53, substitute the following section, namely:—

“53 Power to release property seized under section 52.- Any forest officer of a rank not inferior to that of a Range Officer, who, or whose subordinate, has seized any tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing any forest offence, including the forest produce, under section 52, may release the same on the execution by the owner thereof, of a security in a form of a bank guarantee, of an amount not less than the value of such property, as estimated by such officer, for the production of the property so released when so required by the Magistrate having jurisdiction to try the offence or by the authorised officer empowered under sub-section (2) of section 52, on account of which the seizure has been made:

Provided that when any forest produce is seized at a remote location from where it is not practicable to transport it immediately, the officer who, or whose subordinate has effected such seizure under section 52, may entrust the same (Supardnama) to any responsible person on the execution of a bond thereof, by such person, for the production of the property so entrusted if and when required by the Magistrate having jurisdiction to try the offence or before the authorised officer empowered under sub-section (2) of section 52, on account of which the seizure has been made.”.

Section 54.—

For section 54, substitute the following section, namely:-

“54 Receipt of report of seizure by Magistrate and procedure thereupon.- Upon the receipt of any report under sub-section (4) of section 52, the Magistrate shall, with all convenient dispatch, take such measures as may be necessary for the arrest and trial of the offender and the disposal of the property according to law:

Provided that before passing any order for disposal of property the Magistrate shall satisfy himself that no intimation under sub-section (4) of section 52 has been received by his court or by any other court having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property has been made.”.

Section 55.—

For sub-section (1), substitute the following sub-section:—

“(1) All timber or forest produce which in either case is not the property of the Government and in respect of which a forest offence has been committed, and all tools, arms, boats, carts, equipment,

ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article, in each case used in committing any forest offence shall, subject to the provisions of section 52, 52A and 52B, be liable to confiscation upon conviction of the offender for such offence.”.

Section 56.— For the words “When the trial of”, substitute the words, figures and letter, “Without prejudice to the provisions of section 52C, when the trial of”.

Section 57.— For section 57, substitute the following section, namely:—

“57. Procedure when the offender is not known or cannot be found.— When the offender is not known or cannot be found the Magistrate may, if he finds that an offence has been committed, but subject to section 52B, order the property in respect of which offence has been committed, to be confiscated or forfeited together with all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing the offence, and taken charge of by the Forest officer, or to be made over to the person whom the Magistrate deems to be entitled to the same:

Provided that, no such order shall be made until the expiration of one month from the date of seizing such property or without hearing the person, if any, claiming any right thereto, and the evidence, if any, which he may produce in support of his claim.”

Section 58.— For section 58, substitute the following section, namely:—

“58. Procedure as to perishable property seized under section 52.— The Authorised Officer under sub-section (2) of section 52, or the Magistrate may, notwithstanding anything hereinbefore contained, direct the sale of any property seized under section 52 and subject to speedy and natural decay, and may deal with the proceeds as he would have dealt had it not been sold”.

Section 60.— Renumbered as sub-section (2) thereof, and, before sub-section (2) as so renumbered, insert the following sub-section, namely:—

“(1) Property ordered to be confiscated by an authorised officer under section 52, subject to the result of revision before Court of Sessions under section 52A shall upon conclusion of proceedings in revision, vest in the Government free from all encumbrances:

Provided that if no revision is preferred under section 52A, such vesting shall take effect on expiry of period specified for the submitting petition for revision under section 52A”.

Section 63.— For the words, “or with fine”, substitute the words “or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees”.

Insertion of section 64A .— After section 64, insert the following section, namely:—

“64A. Offences non-bailable.—Notwithstanding anything contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences under this Act other than those compoundable under section 68 shall be non-bailable”.

Insertion of section 65A and 65B.—After section 65, insert the following sections, namely:—

“65A. Requisition for police assistance.—Any forest officer may requisition the services of any police officer to assist him for all or any of the purposes specified in sections 52, 63 and 64 and it shall be the duty of every such officer to comply with such requisition.

65B. Police officers bound to seek technical clearance from Authorized Officer.—Any police officer seizing any property under the provisions of this Act or rules framed there under shall be bound to seek technical clearance of the authorized officer to lodge a complaint to the magistrate under section 52 of this Act.”

- Section 67.—** For the words “not exceeding six months, or fine not exceeding five hundred rupees”, substitute the words “not exceeding two years or with fine not exceeding twenty five thousand rupees”.
- Section 68.—** For section 68, substitute the following section, namely:—
- “68. Power to compound offences.-** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, empower any forest officer not below the rank of Assistant Conservator of Forests-
- (a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists, that he has committed any forest offence involving damage not exceeding fifty thousand rupees, other than an offence specified in section 62 or section 63, a sum of money by way of compensation for the offence, which such person is suspected to have committed:
- Provided that the sum of money accepted by way of compensation shall in no case be less than double the amount involved in the loss caused by such offence; and
- (b) when any property has been seized as liable to confiscation, release the same on payment of the value thereof, in addition to the compensation referred to in clause (a) of this sub-section, as estimated by such officer.
- (2) On the payment of such compensation and such value, to such officer, the suspected person if in custody, shall be discharged, the property, if any, seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property”.
- Section 69.—** For the words, “contrary is proved”, substitute the words “contrary is proved by the accused”.
- Section 69-A.—** After section 69, insert the following section, namely:-
- “69-A. Double penalties for offences.-**The penalties which are double of those mentioned under the provisions of this Act or rules framed thereunder shall be inflicted in cases where the offence is committed after sunset and before sunrise, or after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence”.
- Section 71.—** For the words “ten rupees”, “two rupees”, “one rupee” and “eight annas”, substitute the words “one thousand rupees”, “two hundred and fifty rupees”, “one hundred rupees” and “fifty rupees” respectively.
- Section 72.—** For section 72, substitute the following section, namely;
- “72. Government of Union territory of Jammu and Kashmir may invest Forest officers with certain powers.-** (1) The forest officers shall have the following powers, namely:-
- (a) power to enter upon any land and to survey, demarcate and make a map of the same.
- (b) the powers of a Civil Court to compel the attendance of witnesses and the production of documents and material objects;
- (c) power to hold an inquiry into forest offences and in the course of such inquiry, to receive and record evidence; and
- (d) power to issue search warrants under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):
- Provided that powers under clause (b) and (c) shall not be exercised by a forest officer below the rank of a Range Officer:
- Provided further that the powers under clause (d) shall not be exercised by a forest officer below the rank of a Divisional Forest Officer.
- (2) Any evidence recorded under clause (c) of sub-section (1) shall be admissible in any subsequent trial before a Magistrate, if that it has been taken in the presence of the accused person.

(3) Any forest officer not below the rank of a Range Officer may delegate his powers of inquiry to an officer of the rank of Forester if the offence is compoundable under section 68 of this Act.”

Section 74.—

For section 74, substitute the following section, namely:-

“74. Indemnity for acts done in good faith.—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any public servant for anything done in good faith or omitted to be done likewise, under this Act or the rules or orders made thereunder.

(2) No Court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by a forest officer while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir”.

Section 76A.—

After section 76, insert the following section, namely:-

“76A. Power to regulate manufacture and preparation of articles based on forest produce.—(1) The Government of Union territory of Jammu and Kashmir may make rules,—

- (a) to provide for the establishment, and regulation by licence, permit or otherwise (and the payment of fees thereof), of saw mills, timber depots, firewood depots and other units including the factories or industries engaged in the consumption of forest produce or manufacture or preparation of the following articles:-
 - (i) katha (catechu) or kutch out of khairwood;
 - (ii) rosin, turpentine, other products out of resin, and wood oil;
 - (iii) plywood, veneer and wood-based products;
 - (iv) match boxes and match splints;
 - (v) boxes including packing cases made out of wood;
 - (vi) joinery and furniture items made out of wood;
 - (vii) charcoal, lime stone and gypsum;
 - (viii) such other articles based on forest produce as the Government of Union territory of Jammu and Kashmir may, by notification in the Official Gazette, from time to time, specify;
- (b) to provide for the regulation by licence, permit or otherwise, of procurement of raw material for the preparation of articles mentioned in clause (a), the payment and deposit of fees therefor and for due compliance of the condition thereof, the forfeiture of the fees so deposited or any part thereof for contravention of any such condition and adjudication of such forfeiture by such authority as the Government of Union territory of Jammu and Kashmir may, by notification, specify.

(2) The Government of Union territory of Jammu and Kashmir may provide that, as the contravention of any rules made under this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or both.”

Section 77.—

For the words “extend to one month, or fine which may extend to five hundred rupees”, substitute the words “extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees”.

Section 79.—

In sub-section (2), in the long line, for the words “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees” substitute the words, “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees”.

Insertion of sections 79A to 79C.—After section 79, insert the following sections, namely:—

“79-A. Penalty for unauthorisedly taking possession of land constituted as reserved or protected forest.— (1) Any person who unauthorisedly takes or remains in possession of any land in areas constituted as reserved forest or protected forest under section 20 or section 29 as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act, be summarily ejected by order of a forest officer not below the rank of a Divisional Forest Officer and any crop which may be standing on such land or any building or other work which he may have constructed thereon, if not removed by him within such time as such forest officer may fix, shall be liable to forfeiture:

Provided that no order of ejection under this sub-section shall be passed unless the person proposed to be ejected is given a reasonable opportunity of showing cause why such an order should not be passed.

(2) Any property so forfeited shall be disposed of in such manner as the forest officer may direct and the cost of removal of any crop, building or other work and, of all works necessary to restore the land to its original condition shall be recoverable from such person in the manner provided in section 82.

(3) Any person aggrieved by an order of the forest officer under sub-section (1) may, within sixty days from the date of such order prefer an appeal by petition in writing to the concerned Chief Conservator of Forests in person or through a duly authorized agent and such petition shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against.

(4) On receipt of the appeal and after summoning the parties and perusing the record of the proceedings, the Chief Conservator of Forests shall fix a date and convenient place for hearing the appeal and shall give notice thereof to the parties, and shall hear the appeal accordingly.

(5) The order passed on the appeal by the Chief Conservator of Forests shall be final.

79B. Summary action by Deputy Commissioner in fire cases.— If in any case under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 79, it appears to the Deputy Commissioner of the district within which the forest concerned is situated after local enquiry made in a summary and administrative manner, either by himself, or through a Tehsildar deputed by him for the purpose, that any such person or village or other community has neglected to give such information or to render such assistance as is required thereby, he may impose a fine not exceeding one thousand rupees on, as well as direct payment of compensation for damage to Government's property by, such person, village or other community or such individual member of such village or other community as may be determined in consultation with the Divisional Forest Officer and all fines imposed under this section shall be recoverable as arrears of land revenue.

79C. Appeal against order of Deputy Commissioner.— An appeal against every order passed under section 79B may be made to the concerned Divisional Commissioner whose decision thereon shall be final.”

Section 82.—

For section 82, substitute the following section, namely:—

“82. Recovery of money due to Government – All money payable to the Government under this Act or under any rule made under this Act, or on account of the price of timber, or other forest produce, or of expenses incurred in execution of this Act in respect of timber and other forest produce, or under any contract relating to timber and other forest produce including any sum recoverable there under for breach thereof, or in consequence of its cancellation, or under the terms of a notice relating to the sale of timber or other forest produce by auction or by invitation of

tenders, issued by or under authority of a forest officer and all compensation awarded to the Government under this Act shall, if not paid when due, be recovered, under the law for the time being in force, as if it were an arrear of land revenue”.

Insertion of Sections 82-A to 82-H.—After section 82, insert the following sections, namely:—

“82-A. Recovery of penalties due under a bond.— When in respect of any forest lease any person binds himself by any bond or instrument to perform any duty or act, or covenants by any bond or instrument that he, or that he and his servant and agents will abstain from any act, the whole sum mentioned in such bond or instrument as the amount to be paid in case of a breach of the conditions thereof shall notwithstanding anything in section 74 of the Indian Contract Act, 1872, be recovered from him in case of such breach as if it were an arrear of land revenue.

82-B. Restoration of advantage or benefit or payment of compensation.—Notwithstanding anything contained in this Act or in the Indian Contract Act, 1872, or in any other law for the time being in force,—

- (a) where any transaction or lease relating to sale of forest produce or extraction of timber from any forest is or is discovered to be void only on the ground that the transaction or lease is not in conformity with the provisions of article 299 of the Constitution of India or any order or direction issued thereunder, any person who has received any advantage or has enjoyed any benefit by virtue of such transaction or lease shall be bound to restore it or to make compensation for it, to the person or party from whom he received it;
- (b) the extent of any advantage or benefit or the amount of compensation payable in lieu thereof, referred to in clause (a), shall be determined in accordance with the provisions of this Act and the value of the advantage or benefit or the amount of compensation so determined shall be recoverable as arrears of land revenue.

82-C. Constitution of Authority.—For the purposes of determining the extent of advantage or benefit or the value thereof or the amount of compensation under section 82-B, the Government of Union territory of Jammu and Kashmir shall, by notification in the Official Gazette, constitute, as and when necessary, an Authority consisting of one or more members having such qualification and experience and on such terms and conditions as may be prescribed and where the Authority consists of more than one member, one of them may be appointed as Chairperson thereof.

82-D. Powers of the Authority.— (1) The Authority shall, for purposes of holding inquiry for determining the extent of advantage or benefit or value thereof or the amount of compensation, as the case may be, under section 82-B, have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person or witness and examining him on oath or solemn affirmation;
- (b) requiring the discovery or production of any document relating to the subject matter of inquiry;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof relating to the subject matter of inquiry from any court or office; and
- (e) issuing commissions for examination of witnesses, documents or other books of accounts relating to the subject matter of inquiry.

(2) The Authority shall also have power to issue a commission to such person as it considers fit for local investigation which may be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter which is the subject matter of inquiry or of ascertaining the market value of any property.

(3) The person directed to execute a commission for any purpose under this section shall have all the powers of a commissioner appointed by a Civil Court in pursuance of the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(4) The Authority shall have the power to pass such orders as it thinks fit for the seizure, attachment, management, preservation, interim custody or sale of any forest produce or timber (wherever it may be in the State) which may be the subject matter of proceedings before it including the appointment of a receiver for any of the aforesaid purposes.

82-E. Restriction on alienation.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force,—

- (a) where at any stage of the inquiry, the Authority is satisfied by affidavit or otherwise that a person liable to restore any advantage or benefit or to pay compensation in lieu thereof under any transaction or lease referred to in section 82-B, is likely to alienate his movable or immovable property with intent to evade payment or to defeat the recovery, of the advantage or benefit or the value thereof or the amount of compensation, that may be determined by him, it may by order in writing direct that such person shall not alienate his movable and immovable property or such portion thereof, as it may specify in the order, during the pendency of the inquiry;
- (b) any alienation of property made in contravention of any order or direction issued under clause (a) shall be void, and no transferee of such property shall be deemed to have acquired any right, title or interest therein.

Explanation.—For the purposes of this section "alienation" includes mortgage, sale, gift, bequest, benami transaction, family settlement or any other mode of transfer of any right, title or interest in the property.

(2) For removal of doubts it is hereby declared that restrictions imposed under this section on the rights conferred by clause (1) of article 19 of the Constitution of India shall be deemed to be reasonable restrictions.

82-F. Procedure to be followed by the Authority.— (1) The Authority shall, subject to any rules made by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir in this behalf, have power to regulate its own procedure in all matters arising out of or connected with the discharge of its functions, in consonance with the principles of natural justice.

(2) The parties shall have a right of being represented by counsel.

82-G. Appeal.— (1) Any person aggrieved by a final order of the Authority, determining the extent of advantage or benefit or value thereof or the amount of compensation under section 82-B, may, within thirty days of the date of the order, file an appeal against such order before the High Court and every such appeal shall be heard by a Division Bench of the High Court.

(2) No other order of the Authority shall be appealable.

(3) The order of the Authority shall, subject to the decision of the High Court under sub-section (1) in appeal, be final and shall be deemed to be a certificate within the meaning of section 90 of the Jammu and Kashmir Land Revenue Act, 1996.

(4) No further appeal shall lie against the decision of the High Court.

82-H. Exclusion of jurisdiction of Civil Court.- No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of any matter which the Authority has taken cognizance of under section 82-B.”

Insertion of section 83A.—After section 83, insert the following section, namely:—

“83A. Restriction on alienation.—(1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act 1882, or in any other law for the time being in force, no property offered by a forest lessee or by any other person on behalf of a forest lessee, as security for payment of royalty, interest, compensation, penalty or any other amount chargeable from the forest lessee, under any lease deed, bond or instrument shall be alienated without the previous permission of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir, till such time as the Chief Conservator of Forests certifies that such forest lessee has duly performed all the obligations devolving upon him under such lease deed, bond or instrument.

(2) Any alienation of property made in contravention of sub-section (1) shall be void, and no transferee of such property shall be deemed to have acquired any right, title or interest therein.

(3) Any amount of royalty, interest, compensation or penalty or any other sum falling due from a forest lessee under any lease deed, bond or instrument shall be recoverable as arrears of land revenue in accordance with the law for the time being in force, from the property offered by him or on his behalf as security and from any other movable or immovable property owned by the forest lessee.

Explanation.— For the purposes of this section,

- (a) "alienation" includes sale, gift, exchange, bequest, mortgage, benami transaction, family settlement or any other mode of transfer of any right, title or interest therein or creation of any encumbrance thereon;
- (b) the expression "forest lessee" shall be construed to mean a person in whose favour a right to convert and remove forest produce from any forest has been granted under any lease deed, bond or instrument.

(4) For removal of doubts it is hereby declared that restriction imposed under this section on the rights conferred by clause (1) of article 19 of the Constitution of India shall be deemed to be reasonable restrictions.”

Insertion of section 84A.—After section 84, insert the following section, namely:—

“84A. Application of the Act to land.— The Government may, by notification in the Official Gazette, declare that any of the provisions of this Act shall apply to any land which is the property of the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir or the Central Government, and thereupon such provisions shall apply to such land accordingly.”

21. THE INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL ACT, 1970

(48 of 1970)

Omit sub-section (2) of Section 2.

22. THE INDIAN PENAL CODE, 1860

(45 of 1860)

354E .—

After section 354D, insert the following section, namely:-

“354E. Sextortion.—(1) Whoever,—

- (a) being in a position of authority; or
- (b) being in a fiduciary relationship; or
- (c) being a public servant,

abuses such authority or fiduciary relationship or misuses his official position to employ physical or non physical forms of coercion to extort or demand sexual favours from any woman in exchange of some benefits or other favours that such person is empowered to grant or withhold, shall be guilty of offence of sextortion.

Explanation.—For the purpose of this section, ‘sexual favour’ shall mean and include any kind of unwanted sexual activity ranging from sexually suggestive conduct, sexually explicit actions such as touching, exposure of private body parts to sexual intercourse, including exposure over the electronic mode of communication.

(2) Any person who commits the offence of sextortion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but may extend to five years and with fine.”

23. THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

(31 of 2016)

Section 1.—

In sub-section (2), omit the proviso.

24. THE LIMITATION ACT, 1963

(36 of 1963)

Insertion of Section 30A .— After section 30, insert the following section, namely:-

“30A. Provision for suits, etc., for which the prescribed period is shorter than the period prescribed by the Limitation Act, samvat 1995.—Notwithstanding anything contained in this Act,—

- (a) Any suit for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Limitation Act, Samvat 1995, may be instituted within a period of one year next after the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or within the period prescribed for such suit by the Limitation Act, Samvat 1995, whichever period expires earlier:

Provided that if in respect of any such suit, the said period of one year expires earlier than period of limitation prescribed therefor under the Limitation Act, Samvat 1995 (now repealed) and the said period of one year together with so much of the period of limitation in respect of such suit under the said Act, as has already expired before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 is shorter than the period prescribed for such suit under the Limitation Act, 1963, then, the suit may be instituted within the period of limitation prescribed therefor under the Limitation Act, 1963;

- (b) Any appeal or application for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Limitation Act, Samvat 1995, may be preferred or made within a period of ninety days next after the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or within the period prescribed for such appeal or application by the Limitation Act, Samvat 1995, whichever period expires earlier.”

25. THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1962

(26 of 1962)

Omit Section 2A.

26. THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

(19 of 1963)

Omit Section 9.

27. THE PRESS AND REGISTRATION OF BOOKS ACT, 1867

(25 of 1867)

In section 1, omit sub-section (2).

28. THE PRESS COUNCIL ACT, 1978

(37 of 1978)

Section 3.—

Omit “Jammu and Kashmir or”.

29. THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

(49 of 1988)

Insertion of section 17B.— After section 17A, insert the following section, namely:—

“17B. Establishment of Anti-Corruption Bureau for the Union territory of Jammu and Kashmir.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government of Union territory of Jammu and Kashmir shall, by notification in the Official Gazette, establish a Bureau for investigation of offences under this Act under the name of ‘Anti-Corruption Bureau’.

(2) The Bureau shall consist of the Director and such other officers and staff subordinate to him as the Government of Union territory of Jammu and Kashmir may from time to time think fit to appoint.

(3) The qualification of officers (other than the Director) shall be such as may be prescribed by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir:

Provided that till qualification of officers (other than the Director) is prescribed by the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir, the rules notified by the Government in this regard under the Prevention of Corruption Act, Samvat, 2006 (now repealed) shall continue to govern the qualification of such officers.

(4) The Director and the officers and staff subordinate to him shall hold office for such term and on such conditions as the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir may from time to time determine.”

Explanation:—The Anti-Corruption Bureau established under the Prevention of Corruption Act, Samvat, 2006 (now repealed) shall deemed to be Anti-Corruption Bureau established

under the provisions of this Act, as if the same has been established under the provisions of this Act and any reference to the Anti-Corruption Bureau in any law, order, notification or rules in force in the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be construed to mean the Anti-Corruption Bureau established under the provisions of this Act.

Insertion of section 17C to 17G .— After section 17A, insert the following sections, namely:—

“17C. Powers of attachment of property. – (1) If an officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police) of the Anti-Corruption Bureau, investigating an offence committed under this Act, has reason to believe that any property in relation to which an investigation is being conducted has been acquired by resorting to such acts of omission and commission which constitute an offence of ‘criminal misconduct’ as defined under section 5, he shall, with the prior approval in writing of the Director of the Anti-Corruption Bureau, make an order seizing such property and, where it is not practicable to seize such property, make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order or of the Designated Authority to be notified by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir before whom the properties seized or attached are produced and a copy of such order shall be served on the person concerned:

Provided that the Investigating Officer may, at any stage of investigation after registration of F.I.R. in respect of any case under the Act where he has reason to believe that such property is likely to be transferred or otherwise dealt with to defeat the prosecution of the case direct that such property shall not be transferred or dealt with for such period, not exceeding ninety days, as may be specified in the order except with the prior approval of the Designated Authority.

Explanation.— For the purposes of this section, “attachment” shall include temporarily assuming the custody, possession and/or control of such property].

(2) The Investigating officer shall inform the Designated Authority, within forty eight hours, of the seizure or attachment of such property together with a report of the circumstances occasioning the seizure or attachment of such property, as the case may be.

(3) It shall be open to the Designated Authority before whom the seized or attached properties are produced either to confirm or revoke the order of seizure or attachment so issued within [thirty days]:

Provided that an opportunity of being heard shall be afforded to the Investigating Officer and the person whose property is being attached or seized before making any order under this sub-section:

Provided further that till disposal of the case the Designated Authority shall ensure the safety and protection of such property.

(4) In the case of immovable property attached by the Investigating Officer, it shall be deemed to have been produced before the Designated Authority, when the Investigating Officer notifies his report and places it at the disposal of the Designated Authority.

(5) Any person aggrieved by an order under the proviso to sub-section (1) may apply to the Designated Authority for grant of permission to transfer or otherwise deal with such property.

(6) The Designated Authority may either grant, or refuse to grant, the permission to the applicant.

(7) The Designated Authority, acting under the provisions of this Act, shall have all the powers of a civil court required for making a full and fair enquiry into the matter before it.

17D. Appeal against the order of Designated Authority.—

(1) Any person aggrieved by an order made by the Designated Authority under sub-section (3) or sub-section (5) of section 17C may prefer an appeal, within one month from the date of receipt of the order, to the Special Judge and the Special Court may either confirm the order of attachment of property or seizure so made or revoke such order and release the property or pass such order as it may deem just and proper within a period of sixty days.

(2) Where any property is seized or attached under section 17C and the Special Court is satisfied about such seizure or attachment, it may order forfeiture of such property, whether or not the person from whose possession it is seized or attached is prosecuted in the Special Court for an offence under this Act.

(3) It shall be competent for the Special Court to make an order in respect of property seized or attached, —

- (a) directing it to be sold if it is a perishable property and the provisions of section 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale;
- (b) nominating any officer of the Government, in the case of any other property, to perform the function of the Administrator of such property subject to such conditions as may be specified by the Special Court.

17E. Issue of show-cause notice before forfeiture of the property. —

No order under sub-section (2) of section 17D shall be made by the Special Court —

- (a) unless the person holding or in possession of such property is given a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to forfeit such property and such person is given an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of forfeiture and is also given a reasonable opportunity of being heard in the matter;
- (b) if the person holding or in possession of such property establishes that he is a bona fide transferee of such property for value without knowing that such property has been so acquired.

17F. Appeal.—

(1) Any person aggrieved by order of the Special Court under section 17D may within one month from the date of the receipt of such order, appeal to the High Court of Jammu and Kashmir.

(2) Where any order under section 17D is modified or annulled by the High Court or where in a prosecution instituted for the contravention of the provisions of this Act, the person against whom an order of the special court has been made is acquitted, such property shall be returned to him and in either case if it is not possible for any reason to return the forfeited property, such person shall be paid the price therefor as

if the property had been sold to the Government with reasonable interest calculated from the date of seizure of the property and such price shall be determined in the manner prescribed.

17G. Order of forfeiture not to interfere with other punishments.—

The order of forfeiture made under this Act by the Special Court, shall not prevent the infliction of any other punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.”

30. THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993

(10 of 1994)

Section 21.—

- (i) in sub-section (5), omit the second Proviso;
- (ii) in sub-section (7), for “other than Union territory of Delhi” substitute “other than Union territory of Delhi, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh”; and
- (iii) in sub-section (8), for “Union territory of Delhi” substitute “Union territory of Delhi, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh”.

31. THE PUBLIC DEBT ACT, 1944

(18 of 1944)

Omit Section 31.

32. THE RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) ACT, 1966

(29 of 1966)

Omit Section 15.

33. THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016

(16 of 2016)

Section 2 .—

In clause (g), in sub-clause (ii), for ‘Puducherry’ substitute ‘Puducherry and Union territory of Jammu and Kashmir’.

34. THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1950

(43 of 1950)

Section 27A.—

After sub-section (4), insert the following sub-section, namely:-

“(5) The electoral college of the Union territory of Jammu and Kashmir shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 (34 of 2019)”.

35. THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013

(30 of 2013)

Section 3.—

In clause (e):-

- (i) in sub-clause (ii), after “except Puducherry”, insert “and Jammu and Kashmir”;
- (ii) in sub-clause (iii), after “Union territory of Puducherry” occurring at both the places, insert “and Union territory of Jammu and Kashmir”.

**36. THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF
SECURITY INTEREST ACT, 2002**

(54 of 2002)

Omit Section 17A and Section 18B.

37. THE TEXTILES COMMITTEE ACT, 1963

(41 of 1963)

Omit Section 2A.

[F.No. 11014/05/2014-K.I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.